मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–636/2022 आशीष चौबे बनाम ए0सी0पी0 टोलवेज में प्रतिवादी संख्या–04 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 का अभिकथन प्रतिवादी संख्या–05 प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र एवं प्रतिवादी संख्या–06 प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर की आख्या के आधार पर निम्नानुसार है–

मा0 हरित न्यायिक प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 आशीष चौबे बनाम ए0सी0पी0 टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुमति दिनांक–31.03.2014 के शर्तो विशेषकर 8, 11, 18 के उल्लंघन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व इकोसेन्सटिव जोन के उल्लंघन पर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर मा0 हरित अधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अभिकथन हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–57/सोनभद्र/10रिट/दिनांक–06.07.2024(संलग्नक–a)एवं प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–79/10–1 दिनांक–06.07.2024(संलग्नक–b) से उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का अभिकथन निम्नानुसार है–

उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे अथारिटी (उपशा) द्वारा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0–5ए) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मिर्जापुर वन प्रभाग में किमी0 0.00 से 39.00 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र में किमी0–72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वनभूमि, कैमूर वन्य जीव प्रभाग में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वनभूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन, ओबरा वन प्रभाग में किमी 87.00 से 115 तक 52.577 हे0 रक्षित वनभूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन एवं रेनुकूट वन प्रभाग में किमी0 115.60 से 117.650 तक 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों के पातन की अनुमति अर्थात कुल 129.251 हे0 वनभूमि एवं 18632 वृक्षों के पातन की गैरवानिकी कार्य बावत अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

उपशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–8–86/2012–FC, दिनांक 31.05.2013 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित अन्तर्गत कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गयी ***(संलग्नक–1)*** एवं पत्र संख्या–8–86/2012–FC, दिनांक 14.11.2013 द्वारा कतिपय शर्तो के साथ विधिवत स्वीकृत प्रदान की गयी (संलग्नक–2)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृत के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 *(संलग्नक–3)* से विधिवत

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो को सम्मिलित करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमति प्रदान की गयी।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 से गठित संयुक्त समिति जिसमें अधोहस्ताक्षरी के स्तर से नामित सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा सोनभद्र भी सम्मिलित थे द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी (संलग्नक–4), जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

"1. अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु (1) मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 0.00 से 39 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र में 72 से 73 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वन भूमि (3) कैमूर वन्य जीव प्रभाग, जनपद मीरजापुर में किमी0 76 से 87 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वन एवं बाधक 1465 वृक्षों के पातन (4) ओबरा वन प्रभाग, जनपद सोनभद्र में किमी0 87 से 115 तक 52.577हे0 रक्षित वन भूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन (5) रेनुकूट वन प्रभाग जनपद सोनभद्र में किमी0 115 से 117.650 किमी0 तक 4.77हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों का पातन, परियोजना के समेकित प्रस्ताव में कुल 34.014हे0 आरक्षित वन भूमि, 72.377हे0 रक्षित वन भूमि, 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 129.251हे0 (आरक्षित/रक्षित/संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव कुल बाधक 18632 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संख्या–3308/14–2–2013– 800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा 39 शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी किया गया है। जिसके शर्त संख्या 8, 11 व 18 निम्नानुसार हैः–

शर्त संख्या–8:– *प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।*

शर्त संख्या–11:– *प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़के के बाहर दोनो ओर कमरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।*

शर्त संख्या–18:– *वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलवनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।*

2. *प्रकरण ग्राम–लोढी, परगना–बड़हर, तहसील–रावर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र में स्थापित ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लि0 द्वारा वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के किमी0 72.00 से 73.00 के बीच (साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0) से सम्बन्धित है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। उक्त निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्दर है।*

3. *उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में तत्समय में प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र तथा मौके पर निर्माण कार्य में निम्नलिखित भिन्नता पायी गयीः–*

i. *ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग व आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।*

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

ii. परन्तु मौके पर पूर्व में निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण न करते हुए नये मार्ग का निर्माण तथा नये मार्ग के दांयी तरफ प्रशासनिक भवन व स्थायी व अस्थायी आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं है।

iii. ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ कार्यालय भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु मौके पर नये मार्ग का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं है।

अतः उक्त निर्माण कार्य प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार सही नहीं है। **ले–आउट प्लान, टोपोशीट व गूगल अर्थ से प्राप्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–चित्र की प्रति संलग्न है, संलग्नक–1।**

4. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–, 1101/सोनभद्र/33 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी0 72.00 से 73.00 ग्राम–लोढी के साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0 वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकरण तथा टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं आफिस के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं टोपाशीट के अनुसार विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013 –800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा अनुमति जारी किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित आफिस एवं प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित वन भूमि 7.517हे0 पर ही बांयी पटरी से इतर दायी पटरी पर किया गया है। ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–2720/सोनभद्र/33 दिनांक–21.06.2019 व पत्रांक–1938/सोनभद्र/33 दिनांक –31.12.2022 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से आख्या उपलब्ध करानें का अनुरोध किया गया है।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–2।

5. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1611/33–1 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम–लोढी में पूर्व से निर्मित वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के बांयी तरफ निर्मित टोल प्लाजा एवं आवासीय कालोनी आदि कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सटिव जोन के अन्दर है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय अभिलेखों में नहीं पाया गया।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–3।

अतः उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र के अन्तर्गत किमी0 संख्या 72.00 से 73.00 के मध्य प्रभावित 7.517हे0 वन भूमि के मार्ग के चौड़ीकरण के साथ आफिस बिल्डिंग व एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति लिया गया था, परन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार कार्य न करते हुए, नयी सड़क का निर्माण, आफिस बिल्डिंग व एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साथ–साथ स्थायी व अस्थायी कालोनी का निर्माण करया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत है, जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया।"

2. विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक–31.03.2014 में अधिरोपित शर्त सं0–08, 11 , 18 ,7 व 19 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार पायी गयीः–

शर्त संख्या–08–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र एवं कैमूर वन्य जीव की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

शर्त संख्या–11–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के बाहर दोनो ओर कचरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–18:–वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलवनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–07–प्रस्तावित परियोजना का ले आउट प्लान बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

वाराणसी–शक्तिनगर राजमार्ग किमी0 72–73 के मध्य टोलप्लाजा हेतु संलग्न "लेआउट प्लान" में प्रशासनिक भवन टोलप्लाजा की बाई पटरी पर नियत है किन्तु मौके पर प्रशासनिक भवन टोलप्लाजा के दाहिनी पटरी पर निर्मित किया गया है, इतना हीं नहीं प्रशासनिक भवन के अतिरिक्त एक अदद् आवासीय भवन का भी निर्माण किया गया है जो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये गये "लेआउट प्लान" में नहीं है। ऐसी स्थिति में शर्त संख्या–7 का उलंघन किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुये सम्यक विचार उपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक–L-1308/UP/2022/42 दिनांक–18.04.2024 *(संलग्नक–5)* से वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत शर्त के उल्लंधन हेतु निम्न निर्णय लिया गया –***'Penal NPV equal to 5 times of NPV of forest land which has been utilized for construction of Toll plaza also User Agency may be asked to deposit money of Plantation(on forest land) on double the area used for construction of Toll Plaza"***

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में **प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग** के कार्यालय के पत्रांक–1884/सोनभद्र/33 दिनांक 24.04.2024 एवं पत्रांक– 18/सोनभद्र/33 दिनांक 03.07.2024 *(संलग्नक–6 एवं 7)* **द्वारा मुख्य कार्यापालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य मार्ग प्राधिकारण से रू0–3,88,33,361.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कैम्पा में जमा करने हेतु लिखा गया है।**

शर्त संख्या–19–परियोजना के व्यय पर प्रत्यावर्तित वनभूमि को 04 फीट ऊंची मजबूत सीमेन्ट कंकरीट पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, बैकवर्ड व फारवर्ड बियरिंग अंकित की जायेगी।

प्रस्तावित परियोजना में हस्तान्तरित 7.517 हे0 आरक्षित वन भूमि को 04 फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा सीमांकित कर प्रत्येक पीलर पर बैकवर्ड/फारवर्ड बियरिंग अंकित कर स्थापित किया जाना नियत है जिसका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन नही किया गया है, ऐसी स्थिति में शर्त संख्या–19 का उल्लंघन किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

3. ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा प्रस्ताव के अनुसार वाराणसी–शक्तीनगर मार्ग के चैनेज 72 से 73 किमी के मध्य है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत एवं कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सटिव जोन की परिधि में आता है। अतः निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा में नहीं किया गया है। कैमूर वन्य जीव विहार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञप्ति संख्या–908/14–3–44–78 दिनांक–10.08.1982 (संलग्नक–8) से की गयी एवं इकोसेन्सटिव जोन की विज्ञप्ति भारत सरकार के पत्रांक–का.आ. 891(अ) दिनांक–20.03.2017 (संलग्नक–9) से की गयी, जो कि विषयगत परियोजना की अनुमति दिनांक–31.03.2014 के पश्चात की है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में इकोसेन्सटिव जोन की विज्ञप्ति से पूर्व इकोसेन्सटिव जोन संरक्षित वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर परिधि में अवस्थित है।

4. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्य जीव अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक–6–10/2011WL दिनांक–15.03.2011 (संलग्नक–10) से निर्गत गाइड लाइन शीर्षक **"GUIDELINES FOR TAKING NON-FORESTRY ACTIVITIES IN WILDLIFE HABITATS"** के प्रस्तर 1.4 शीर्षक **"Activities within 10 Kms from boundries of National Park and Wildlife Santuries"** में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

> "In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 460/2004, the Ministry of Environment and Forests has issued an Office Memorandum on 2nd December 2009(Annexure-1), indicating that Environmental Clearances for all such Projects that fall within 10 Kms boundary of the National Park and Santuries will be subject to recommendations of the Standing Committee of NBWL."

विषयक प्रकरण में State Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) द्वारा अपने पत्रांक–1641/..../SEAC/784/2011/JDCA दिनांक–05/07 June, 2011 (संलग्नक–11) से अवगत कराया गया है कि विषयगत परियोजना EIA नोटिफिकेशन 2006 से आच्छादित नंहीं है। अतः उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार विषयगत परियोजना हेतु नेशनल बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति कि अनुमति की आवश्यकता नहीं थी अतएव वन्य जीव सम्बन्धित अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नही ली गयी।

5. मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक–03.04.2024 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एल–1308/यू0पी0/2022/41 दिनांक–22.04.2024 (संलग्नक–12) द्वारा कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के अध्यक्ष/आयुक्त मीरजापुर से निम्नलिखित आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी–

> "Since the project comes under the Eco-Sensitive Zone, thus it is recommended that the Monitoring Committee as per Para 5 of the gazette notification No. S.O. 891 (E) dated 20.03.2017 of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi may be directed to access the extent & amount of violation of Eco-Sensitive Zone and evaluate the compensation which will be levied on the User Agency. The committee may take into consideration Clause 1.22 of FC guidelines while deciding the amount of compensation."

भारत सरकार के अधिसूचना सं0–का.आ. 891(अ) दिनांक–20.03.2017 के पैरा–5 मे कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति का गठन किया गया था एवं पैरा 6 में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए निर्धारित था।

प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर/सदस्य सचिव निगरानी समिति के पत्र संख्या–3499/33–1 दिनांक–25.04.2024 (संलग्नक–13) द्वारा उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु

Tapasmihir
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से दिशा निर्देश/मार्गदर्शन हेतु अनुरोध करने पर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नं0–का.आ. 2143(अ) दिनांक–29.05.2024 (संलग्नक–14) के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा संख्या का.आ. 891(अ) तारीख 20.03.2017 मे संशोधन किया गया है, जिसके क्रम में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सभी सदस्यों के नामित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग/सदस्य सचिव निगरानी समिति द्वारा तत्काल बैठक आहूत कराकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की प्रेक्षानुसार आकलन करते हुये अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग को प्रकरण में प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

Important Events

दिनांक	विवरण
31.05.2013	उपशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–8–86/2012–FC द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गयी।
14.11.2013	उपशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–8–86/2012–FC द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित अन्तर्गत विधिवत स्वीकृत प्रदान की गयी।
31.03.2014	विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 से विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो को सम्मिलित करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमति प्रदान की गयी।
07.09.2022	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 से गठित संयुक्त समिति, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से नामित सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा भी सम्मिलित थे, द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी।
18.04.2024	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुये सम्यक विचार उपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक–L-1308/UP/2022/42 से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत शर्त के उल्लंधन हेतु निम्न निर्णय लिया गया –***"Penal NPV equal to 5 times of NPV of forest land which has been utilized for construction of Toll plaza also User Agency may be asked to deposit money of Plantation(on forest land) on double the area used for construction of Toll Plaza"***
24.04.2024	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक– 1884/सोनभद्र/33 द्वारा मुख्य कार्यापालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य मार्ग प्राधिकारण से रू0–3,88,33,361.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कैम्पा में जमा करने हेतु लिखा गया है।
10.08.1982	कैमूर वन्य जीव विहार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञप्ति संख्या–908/14–3–44–78 से की गयी।
20.03.2017	कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सटिव जोन की विज्ञप्ति भारत सरकार के पत्रांक–का.आ. 891(अ) से की गयी।
15.03.2011	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्य जीव अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक–6–10/2011WL से गाइड लाइन शीर्षक **"GUIDELINES FOR TAKING NON-FORESTRY ACTIVITIES IN WILDLIFE HABITATS"** निर्गत की गयी।
22.04.2024	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एल–1308/यू0पी0/2022/41 द्वारा कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के अध्यक्ष/आयुक्त मीरजापुर से कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के उल्लंघन के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
25.04.2024	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या–3499/33–1 द्वारा उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति प्रचलन में है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया।
29.05.2024	भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नं0–का.आ. 2143(अ) के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा संख्या का.आ. 891(अ) तारीख 20.03.2017 मे संशोधन किया गया, जिसके क्रम में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सभी सदस्यों के नामित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नोट– विवरण के अनुक्रम को बनाये रखने के लिये तिथियां आरोही क्रम में नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ

संलग्नक-a

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक-57/सोनभद्र/10रिट, दिनांक, रावर्ट्सगंज जुलाई 06, 2024।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय- In Compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollways Pvt. Ltd. & ors-reg.आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- **दूरभाष पर दिये गये निर्देश दिनांक-06.07.2024।**

महोदय,

विषयक प्रकरण में आप द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में वांछित आख्या निम्नानुसार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे अथारिटी (उपशा) द्वारा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0-5ए) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मिर्जापुर वन प्रभाग में किमी0 0.00 से 39.00 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 44.587हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र में किमी0-72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वनभूमि, कैमूर वन्य जीव प्रभाग में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वनभूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन, ओबरा वन प्रभाग में किमी 87.00 से 115 तक 52.577हे0 रक्षित वनभूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन एवं रेनुकूट वन प्रभाग में किमी 115.60 से 117.650 तक 4.77हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों के पातन की अनुमति अर्थात कुल 129.251हे0 वनभूमि एवं 18632 वृक्षों के पातन की गैरवानिकी कार्य बावत अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

उपशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-8-86/2012-एफसी, दिनांक 31.05.2013 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित अन्तर्गत कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गयी *(संलग्नक-1)* एवं पत्र संख्या-8-86/2012-एफसी, दिनांक 14.11.2013 द्वारा कतिपय शर्तो के साथ विधिवत स्वीकृत प्रदान की गयी(संलग्नक-2)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृत के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-3308/14-2-2013-800(70)/2013 दिनांक-31.03.2014 *(संलग्नक-3)* से विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो को सम्मिलित करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमति प्रदान की गयी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-07.09.2022 से गठित संयुक्त समिति जिसमें अधोहस्ताक्षरी के स्तर से नामित सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा

O/e

सोनभद्र भी सम्मिलित थे द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी,(संलग्नक–4) जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

"1. अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु (1) मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 0.00 से 39 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र में 72 से 73 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वन भूमि (3) कैमूर वन्य जीव प्रभाग, जनपद मीरजापुर में किमी0 76 से 87 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वन एवं बाधक 1465 वृक्षों के पातन (4) ओबरा वन प्रभाग, जनपद सोनभद्र में किमी0 87 से 115 तक 52.577हे0 रक्षित वन भूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन (5) रेनुकूट वन प्रभाग जनपद सोनभद्र में किमी0 115 से 117.650 किमी0 तक 4.77हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों का पातन, परियोजना के समेकित प्रस्ताव में कुल 34.014हे0 आरक्षित वन भूमि, 72.377हे0 रक्षित वन भूमि, 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 129. 251हे0 (आरक्षित/रक्षित/संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव कुल बाधक 18632 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा 39 शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी किया गया है। जिसके शर्त संख्या 8, 11 व 18 निम्नानुसार है:–

शर्त संख्या–8:– *प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।*

शर्त संख्या–11:– *प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़के के बाहर दोनो ओर कमरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।*

शर्त संख्या–18:– *वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलवनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।*

2. प्रकरण ग्राम–लोढी, परगना–बड़हर, तहसील–रावर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र में स्थापित ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लि0 द्वारा वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के किमी0 72.00 से 73.00 के बीच (साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0) से सम्बन्धित है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। उक्त निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्दर है।

3. उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में तत्समय में प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र तथा मौके पर निर्माण कार्य में निम्नलिखित भिन्नता पायी गयी:–

i. ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण तथा पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग व आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था।

ii. परन्तु मौके पर पूर्व में निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण न करते हुए नये मार्ग का निर्माण तथा नये मार्ग के दांयी तरफ प्रशासनिक भवन व स्थायी व अस्थायी आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं है।

iii. *ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ कार्यालय भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु मौके पर नये मार्ग का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं है।*

अतः उक्त निर्माण कार्य प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार सही नहीं है। ***ले–आउट प्लान, टोपोशीट व गूगल अर्थ से प्राप्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–चित्र की प्रति संलग्न है, संलग्नक–1।***

4.. *प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–. 1101/सोनभद्र/33 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी0 72.00 से 73.00 ग्राम–लोढी के साबिक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0 वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकरण तथा टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं आफिस के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं टोपाशीट के अनुसार विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013 –800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा अनुमति जारी किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित आफिस एवं प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित वन भूमि 7.517हे0 पर ही बांयी पटरी से इतर दायी पटरी पर किया गया है। ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–2720/सोनभद्र/33 दिनांक–21.06.2019 व पत्रांक–1938/सोनभद्र/33 दिनांक –31.12.2022 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से आख्या उपलब्ध करानें का अनुरोध किया गया है।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–2।*

5. *प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1611/33–1 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम–लोढी में पूर्व से निर्मित वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के बांयी तरफ निर्मित टोल प्लाजा एवं आवासीय कालोनी आदि कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सटिव जोन के अन्दर है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय अभिलेखों में नहीं पाया गया।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक–3।*

अतः उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र के अन्तर्गत किमी0 संख्या 72.00 से 73.00 के मध्य प्रभावित 7. 517हे0 वन भूमि के मार्ग के चौड़ीकरण के साथ आफिस बिल्डिंग व एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति लिया गया था, परन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार कार्य न करते हुए, नयी सड़क का निर्माण, आफिस बिल्डिंग व एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के साथ–साथ स्थायी व अस्थायी कालोनी का निर्माण करया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत है, जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया।"

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक–31.03.2014 में अधिरोपित शर्त सं0–08, 11 , 18 ,7 व 19 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार पायी गयीः–

शर्त संख्या–08–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।
उक्त शर्त के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–11–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़के के बाहर दोनो ओर कचरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।

इस शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–18:–वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलवनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

इस शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–07–प्रस्तावित परियोजना का ले आउट प्लान बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

वाराणसी–शक्तिनगर राजमार्ग किमी0 72–73 के मध्य टोलप्लाजा हेतु संलग्न "लेआउट प्लान" में प्रशासनिक भवन टोलप्लाजा की बाई पटरी पर नियत है किन्तु मौके पर प्रशासनिक भवन टोलप्लाजा के दाहिनी पटरी पर निर्मित किया गया है, इतना हीं नहीं प्रशासनिक भवन के अतिरिक्त एक अदद् आवासीय भवन का भी निर्माण किया गया है जो प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये गये "लेआउट प्लान" में नहीं है। ऐसी स्थिति में शर्त संख्या–7 का उलंघन किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुये सम्यक विचार उपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक–L-1308/UP/2022/42 दिनांक–18.04.2024 *(संलग्नक–5)* से वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत शर्त के उल्लंधन हेतु निम्न निर्णय लिया गया –***'Penal NPV equal to 5 times of NPV of forest land which has been utilized for construction of Toll plaza also User Agency may be asked to deposit money of Plantation(on forest land) on double the area used for construction of Toll Plaza"***

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–1884/सोनभद्र/33, दिनांक 24.04.2024 एवं पत्रांक– 18/सोनभद्र/33, दिनांक 03.07.2024 *(संलग्नक–6 एवं 7)*द्वारा मुख्य कार्यापालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य मार्ग प्राधिकारण से रू0–3,88,33,361.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कैम्पा में जमा करने हेतु लिखा गया है।

शर्त संख्या–19–परियोजना के व्यय पर प्रत्यावर्तित वनभूमि को 04 फीट ऊंची मजबूत सीमेन्ट कंकरीट पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर क्रमांक, बैकवर्ड व फारवर्ड बियरिंग अंकित की जायेगी।

प्रस्तावित परियोजना में हस्तान्तरित 7.517 हे0 आरक्षित वन भूमि को 04 फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा सीमांकित कर प्रत्येक पीलर पर बैकवर्ड/फारवर्ड बियरिंग अंकित कर स्थापित किया

जाना नियत है जिसका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन नही किया गया है, ऐसी स्थिति में शर्त संख्या–19 का उल्लंघन किया गया है।

ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा प्रस्ताव के अनुसार वाराणसी–शक्तीनगर मार्ग के चैनेज 72 से 73 किमी के मध्य है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत आता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

06.07.24

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या/ 57 *अ/समदिनांक*

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

06.07.24

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संलग्नक–6

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर

संख्या– 79 / 10–1 दिनांकःजुलाई 06,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर।

विषयः In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollyways Pvt. Ltd. & Ors - reg:

संदर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–को0को0 55/6ई–2(एन0जी0टी0) दिनांक–05.07.2024।

महोदय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त बिषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में वांछित आख्या/स्थिति/स्टेटस रिपोर्ट निम्नानुसार आपकी सेवा में प्रेषित है–

उत्तर प्रदेश स्टेट हाइवे अथारिटी (उपशा) द्वारा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग (एस0एच0–5ए) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मिर्जापुर वन प्रभाग में किमी0 0.00 से 39.00 तक 21.727हे0 आरक्षित एवं 22.860 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र में किमी0–72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वनभूमि, कैमूर वन्य जीव प्रभाग में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वनभूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन, ओबरा वन प्रभाग में किमी 87.00 से 115 तक 52.577 हे0 रक्षित वनभूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन एवं रेनुकूट वन प्रभाग में किमी0 115.60 से 117.650 तक 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों के पातन की अनुमति अर्थात कुल 129.251 हे0 वनभूमि एवं 18632 वृक्षों के पातन की गैरवानिकी कार्य बावत अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

उपशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–8–86/2012–FC, दिनांक 31.05.2013 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित अन्तर्गत कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गयी (संलग्नक–1) एवं पत्र संख्या–8–86/2012–FC, दिनांक 14.11.2013 द्वारा कतिपय शर्तो के साथ विधिवत स्वीकृत प्रदान की गयी (संलग्नक–2)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृत के क्रम में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 (संलग्नक–3) से विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो को सम्मिलित करते हुये प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमति प्रदान की गयी। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक–31.03.2014 में अधिरोपित शर्त सं0–08,11, 18 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार पायी गयीः–

<u>शर्त संख्या–08</u>–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।
इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि किमी 76 से 87 के मध्य कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–11–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के बाहर दोनो ओर कचरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।

इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि किमी 76 से 87 के मध्य कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

शर्त संख्या–18:–वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलवनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि किमी 76 से 87 के मध्य कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञानित नहीं हुआ एवं न ही इसकी पुष्टि हुयी।

ए0सी0पी0 टोलवेज प्लाजा प्रस्ताव के अनुसार वाराणसी–शक्तीनगर मार्ग के चैनेज 72 से 73 किमी के मध्य है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत एवं कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सटिव जोन की परिधि में आता है। अतः निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा में नहीं किया गया है। कैमूर वन्य जीव विहार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञप्ति संख्या–908/14–3–44–78 दिनांक–10.08.1982 (संलग्नक–4) से की गयी एवं इकोसेन्सटिव जोन की विज्ञप्ति भारत सरकार के पत्रांक–का.आ. 891(अ) दिनांक–20.03.2017 (संलग्नक–5) से की गयी, जो कि विषयगत परियोजना की अनुमति दिनांक–31.03.2014 के पश्चात की है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में इकोसेन्सटिव जोन की विज्ञप्ति से पूर्व इकोसेन्सटिव जोन संरक्षित वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर परिधि में अवस्थित है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्य जीव अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक–6–10/2011WL दिनांक–15.03.2011 (संलग्नक–6) से निर्गत गाइड लाइन शीर्षक **"GUIDELINES FOR TAKING NON-FORESTRY ACTIVITIES IN WILDLIFE HABITATS"** के प्रस्तर 1.4 शीर्षक "Activities within 10 Kms from boundries of National Parks and Wildlife Santuries" में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

> "In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 460/2004, the Ministry of Environment and Forests has issued an Office Memorandum on 2nd December 2009(Annexure-1), indicating that Environmental Clearances for all such Projects that fall within 10 Kms boundary of the National Park and Santuries will be subject to recommendations of the Standing Committee of NBWL."

विषयक प्रकरण में State Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) द्वारा अपने पत्रांक–1641/..../SEAC/784/2011/JDCA दिनांक–05/07 June, 2011 (संलग्नक–7) से अवगत कराया गया है कि विषयगत परियोजना EIA नोटिफिकेशन 2006 से आच्छादित नंहीं है। अतः उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार विषयगत परियोजना हेतु नेशनल बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति कि अनुमति की आवश्यकता नहीं थी अतएव वन्य जीव सम्बन्धित अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नही ली गयी।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक–03.04.2024 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एल–1308/यू0पी0/2022/41 दिनांक–22.04.2024 (संलग्नक–8) द्वारा कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के अध्यक्ष/आयुक्त मीरजापुर से निम्नलिखित आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी–

"Since the project comes under the Eco-Sensitive Zone, thus it is recommended that the Monitoring Committee as per Para 5 of the gazette notification No. S.O. 891 (E) dated 20.03.2017 of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi may be directed to access the extent & amount of violation of Eco-Sensitive Zone and evaluate the compensation which will be levied on the User Agency. The committee may take into consideration Clause 1.22 of FC guidelines while deciding the amount of compensation."

भारत सरकार के अधिसूचना सं0–का.आ. 891(अ) दिनांक–20.03.2017 के पैरा–5 मे कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति का गठन किया गया था एवं पैरा 6 में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए निर्धारित था।

प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर/सदस्य सचिव निगरानी समिति के पत्र संख्या–3499/33–1 दिनांक–25.04.2024 (संलग्नक–9) द्वारा उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से दिशा निर्देश/मार्गदर्शन हेतु अनुरोध करने पर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नं0–का.आ. 2143(अ) दिनांक–29.05.2024 (संलग्नक–10) के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा संख्या का.आ. 891(अ) तारीख 20.03.2017 मे संशोधन किया गया है, जिसके क्रम में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति के सभी सदस्यों के नामित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग/सदस्य सचिव निगरानी समिति द्वारा तत्काल बैठक आहूत कराकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की प्रेक्षानुसार आकलन करते हुये अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

tapas mihir

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या– 79 /10–1 समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

tapas mihir

(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

F. No. 8-86/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110510.
Dated: 31 May, 2013.

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: Diversion of 129.251 ha of forest land in favour of Uttar Pradesh State Highway Authority (UPSHA) for widening / upgradation of Varanasi-Shaktinagar section of NH-5A in Mirzapur, Sonbhadra, Obra, Renukut Forest Divisions and Kaimur Wild life Sanctuary in the State of Uttar Pradesh – regarding.

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter no. 2636/14-2-2012-800(70)/2012 dated 12th October, 2012 and D.O. letter no. 664/Forest Conservation Act dated 25th March, 2013 on above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government hereby conveys the 'in-principle' approval for diversion of 129.251 ha of forest land in favour of Uttar Pradesh State Highway Authority (UPSHA) for widening / upgradation of Varanasi-Shaktinagar section of NH-5A in Mirzapur, Sonbhadra, Obra, Renukut Forest Divisions and Kaimur Wild life Sanctuary in the State of Uttar Pradesh subject to fulfilment of the following conditions:-

1. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
2. (i) The Compensatory Afforestation (CA) over double degraded forest land as proposed shall be undertaken at the cost of the User Agency.
   (ii) The area identified for Compensatory Afforestation shall be clearly depicted on SOI toposheet of 1:50,000 scale.
   (iii) The User Agency shall transfer the cost (incorporating the current wage structure) for raising and maintaining Compensatory Afforestation to the State Forest Department.
3. User Agency shall deposit the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land with the State Forest Department as per the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 30.10.2002, 01.08.2003 and 28.03.2008 in I.A. No. 566 in W.P.(C) No.

202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide letter No. 5-1/98-FC(Pt.II) dated 18.09.2003 and 22.09.2003 in this regard.

4. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
5. All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in saving accounts pertaining to the State concerned.
6. The User Agency shall arrange to raise strip plantation on either sides of the road and central verge at project case, as per IRC specifications, with maintenance of 7-10 years. The User Agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous species, as per provisions of IRC – SP – 21 2009 (Guidelines on Landscaping and tree plantation) on either side of the road before final clearance.
7. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this proposal, in consultation with the State Forest Department.
8. The reclamation of quarry should be done and completed under the supervision of the State Forest Department and it shall be afforested completely before the Project is closed.
9. Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed off at the designate dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
10. The User Agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
11. The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.
12. The User Agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State. Attention will be particularly given to providing safe crossing and corridors for wildlife species and protecting sensitive habitat like wetlands, grasslands and woodlands from degradation. Where canopy continuity is required for particular species, special measures shall be prescribed by the CWLW for providing crossing points. Where certain trees used for nesting/rookeries of species like 'birds' of prey, herons, storks, hornbills, etc. are to be destroyed, alternative structure shall be provided and the trees transplanted.
13. The User Agency shall not collect any toll from the vehicles carrying forest officers on duty.
14. The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.
15. Any trees shall be felled only when it becomes necessary and that too under strict supervision of State Forest Department, and at the cost of the User Agency.
16. No labor camp shall be established on the forest land. The User Agency shall also provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and staff working at the site so as to avoid any damage to the nearby forest areas.
17. The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on the ground with four feet high cement concrete pillar with its serial number and forward and back bearing inscribed on it.
18. The layout and plan shall not be changed without prior approval of the Central Government.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कृते प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र

This is subject to the requisite Environmental Clearance and other consequential clearances, if required.

20. Ex-situ conservation of endemic species of flora/fauna lost/disturbed in the process of execution of the project may be ensured.
21. No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.
22. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees area to be cleared in this project. Birds nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.
23. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and shall, under no circumstances, be transferred to any one without prior approval of the Central Government.
24. All other conditions proposed by the State Government at the time of submission of the proposal to the Central Government shall be complied with by the User Agency.
25. The provisions of the Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be complied with in accordance with relevant Guidelines issued by the MoEF.
26. Rehabilitation of project affected families, if any, shall be done as per the National Rehabilitation policy / State Rehabilitation policy whichever is better in consultation with the State Forest Department at the cost of user agencies.
27. Any other condition that the Addl. PCCF (Central), Regional Office, Lucknow may impose from time to time for the protection and improvement of flora and fauna in the forest area.
28. All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental clearance shall be complied with before transfer of forest land.
29. The transfer of forest land to the User Agency shall not be affected by the State Government till formal orders approving the diversion of forest land are issued by the Central Government.
31. The User Agency shall submit the annual self-compliance in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly.

Over and above conditions, the following additional conditions as recommended by the Forest Advisory Committee and accepted by the Central Government shall be fulfilled before Stage-II approval:-

(i) The user agency shall submit a revised scheme for creation and maintenance of compensatory afforestation (CA) over 106.391 hectares of non-forest land free from encroachments/encumbrance and 45.72 hectares of degraded forest land. The CA scheme shall *inter alia* contain a Survey of India toposheet, in original, in 1:50,000 scale indicating location and boundary of forest land identified for creation of CA and suitability/non-encumbrance certificate duly signed by competent authority. In case estimated cost for creation and maintenance of CA as per the revised scheme is less than the same indicated in the original proposal, detailed reasons for the same may also be provided;

(ii) The user agency shall acquire additional non-forest land (except for the portion of highways passing through Reserved Forest) and provide funds to raise strip plantation along both sides of road so as to ensure that average width of right of way of the highways is 45 meters. In case it is not feasible to

additional non-forest land along right of way of the highways, the shortfall may be met by acquiring non-forest land elsewhere to raise plantations in lieu of the strip plantations required to be raised along the highways;

(iii) The State Government shall raise penal compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land transferred from the Public Works Department to the UPSHA without obtaining prior approval of Central Government under the FC Act; and

(iv) The user agency shall provide funds for establishment of a forest nursery having the capacity to raise 1 lakh plants per annum in each of the Forest Divisions in which the forest land proposed for diversion is located to ensure distribution of seedling to farmers and other villagers at concessional rates.

After receipt of the compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Till receipt of the said final/Stage-II approval of the Central Government from this Ministry, transfer of the said forest land to the User Agency shall not be affected by the State Government.

Yours faithfully,

Sd/-
(B. K. Singh)
Director

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow.
3. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard file.

Attested

(B. K. Singh)
Director

प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
पत्रांक- 1963 / 11-2, लखनऊ, दिनांक जुलाई 21, 2013
प्रतिलिपि नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

464
83
19-7-13

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ.प्र. लखनऊ।
पत्रांक 17 / 11-डी- [illegible] लखनऊ दिनांक जुलाई 23 2013
प्रतिलिपि:- निम्न अधिकारियों को [illegible] हेतु प्रेषित।
1) प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मिर्जापुर, [illegible]
2) [illegible]

संलग्नक-2

F. No. 8-86/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)
***

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510
Dated: 14th November, 2013

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: **Diversion of 129.251 ha of forest land in favour of Uttar Pradesh State Highway Authority (UPSHA) for widening/ upgradation of Varanasi-Shaktinagar section of NH-5A in Mirzapur, Sonbhadra, Obra, Renukut Forest Divisions and Kaimur Wild life Sanctuary in the State of Uttar Pradesh.**

Sir,

I am directed to refer to the State Government of Uttar Pradesh's letter no. 2636/14-2-2012-800 (70)2012 dated 12.10.2012 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful examination of the proposal by the Forest Advisory Committee (FAC) constituted under Section-3 of the said Act, 'in-principle' approval was granted vide this Ministry's letter of even number dated 31.05.2013 subject to fulfilment of certain conditions prescribed therein. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the 'in-principle' approval and has requested the Central Government to grant final approval.

In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide Nodal Officer (FCA) Forest Department, Uttar Pradesh's letter No. 477/11/C-Lucknow dated 3.09.2013, final approval of the Central Government is hereby granted under section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for Diversion of 129.251 ha of forest land in favour of Uttar Pradesh State Highway Authority (UPSHA) for widening/ upgradation of Varanasi-Shaktinagar section of NH-5A in Mirzapur, Sonbhadra, Obra, Renukut Forest Divisions and Kaimur Wild life Sanctuary in the State of Uttar Pradesh subject to fulfilment of the following conditions:

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land of 45.72 ha i.e. twice in extent to the forest land being diverted (22.86 ha: ownership of which rests with UPSHA) and over equivalent non-forest land in lieu of 106.391 ha of forest land being diverted (ownership of which rests with the State Forest Department), shall be raised and maintained by the State Forest Department from the funds already deposited by the User Agency;

(iii) The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of this letter. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original

P.C. Attested

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record;

(iv) The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India,

(v) Plantation should be raised and maintained over an area of 19.05 ha identified by the State Government in lieu of strip plantation as per the approved scheme from the funds already deposited by the user agency;

(vi) Wherever possible and technically feasible , the user agency shall undertake afforestation measures along the road within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost

(vii) The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

(viii) No labour camp shall be established on the forest land;

(ix) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person

(x) The reclamation of quarry should be done and completed under the supervision of the State Forest Department and it shall be afforestation completely before the project is closed.

(xi) Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The musk generated in the earth cutting will be disposed off at the designate dumping sites and in no case the musk/debris will be allowed to roll down the hill slopes.

(xii) The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.

(xiii) The user agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.

(xiv) The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State. Attention will be particularly given to providing safe crossing and corridors for wildlife species and protecting sensitive habitat like wetlands, grasslands and woodlands from degradation. Where canopy continuity is required for particular species. Special measures shall be prescribed by the CWLW for proving crossing points .Where certain trees used for nesting/rookeries of species like 'birds' of prey. herons, storks, hornbills, etc. Are by be destroyed, alternative structure shall be provided and the trees transplanted.

(xv) The user agency shall not collect any toll from the vehicles carrying forest officers on duty

(xvi) The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.

P.C. Attested

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

(xvii) Any tree shall be felled only when it becomes necessary and that too under strict supervision of State Forest Department, and at the cost of the User Agency.

(xviii) No labour camp shall be established on the forest land. The User agency shall also provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and staff working at the site so as to avoid any damage to the nearby forest areas.

(xix) The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on the ground with four feet high cement concrete pillar with its serial numbers and forward and back bearing inscribed on it.

(xx) Ex-situ conservation of endemic species of flora/fauna lost/disturbed in the process of execution of the project may be ensured.

(xxi) No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.

(xxii) The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees area to be cleared in this project. Birds nests artificially made our of eco-friendly material shall be used,in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being.

(xxiii) The user Agency shall submit the annual self –compliance in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly.

(xxiv) Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xxv) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully,

(Priya Ranjan)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Lucknow.
3. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCF, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
4. The Chief General Manager (Land Acquisition), National Highway Authority of India. Ministry of Road Transport & Highway, G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi – 110 0075.
5. User Agency (UPSHA 4th Floor Kisan Mandi Bhawan Vibhuti Khand Gomti Nagar Lucknow - 226010)
6. Monitoring Cell, FC Division, MoEF New Delhi
7. Guard file.

PC-Attested

(Priya Ranjan)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

(3)

संख्या- 3308 / 14-2-2013-800(70) / 2013

प्रेषक,

प्रतिभा सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, /
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 मार्च 2014

विषय:- उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एच0-5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु मिर्जापुर, सोनभद्र, ओबरा, रेनूकूट वन प्रभागों एवं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में 129.251 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा 10632 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1024 / 11सी--44, दिनांक 19-11-2013 (क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के सैद्धांतिक स्वीकृति एफ0सं0-8-86 / 2012-एफसी, दिनांक 31-5-2013 तथा विधिवत स्वीकृत एफ.नं.-8-86 / 2012-एफसी, दिनांक 14-11-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एच0-5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु (1) मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर में किमी0 0 से 39.00 तक 21.727 हे0 आरक्षित एवं 22.860 हे0 हे0संरक्षित वनभूमि कुल 44.587 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3670 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र मे किमी0 72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517 हे0 आरक्षित वनभूमि (3) कैमूर वन्य जीव प्रभाग, जनपद मिर्जापुर में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80 हे0 रक्षित वन वन भूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन (4) ओबरा वन प्रभाग, जनपद सोनभद्र में किमी0 87.00 से 115 तक 52.577 हे0 रक्षित वनभूमि एवं बाधक 10396 वृक्षो का पातन (5)रेनुकूट वन प्रभाग, जनपद सोनभद्र में किमी0 15.60 से 117.650 किमी0 तक 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों का पातन परियोजना के समेकित प्रस्ताव में कुल 34.014 हे0 आरक्षित वन भूमि, 72.377 हे0 रक्षित वन भूमि, 22.860 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 129.251 हे0 (आरक्षित/रक्षित/संरक्षित) वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 10632 वृक्षो के पातन के समेकित प्रस्ताव के अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो एवं राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तों के सम्बद्ध करते हुये प्रदान करते हैं:-

(1) भा.स. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

प्रत्यावर्तित वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा.स. Compensatory afforestation over the degraded forest land of 45.72 ha i.e. twice in extent to the forest land being diverted (22-86 ha:ownership of which rest with UPSHA) and over equivalent non-forest land in-liew of 106-391 ha of forest land being diverted (ownership of which rests with the State Forest Department), shall be raised and maintained by the State Forest Department from the funds already deposited by the User Agency;

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के दुगुने अर्थात् 45.72 हे0 अवनत वन भूमि पर (जो 22.86 हे0 उपशा के स्वामित्व में है) और 106.391 हे0 समतुल्य वन भूमि के बदले गैर वन भूमि (जो राज्य वन विभाग के स्वामित्व में है) पर प्रयोक्ता अभिकरण के पूर्व में जमा किये गये निधि से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं रख रखाव किया जायेगा।

(3) भा.स. The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest department shall be notified by the State Government as RF under Section 4 and PF under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 under the relevant Section (s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of this letter. The Nodal Officer shall report compliance in this regard. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record:

हस्तांतरित, गैर वन भूमि का राज्य वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद है, को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 / 29 या अन्य सुसंगत अधिनियम/अधिनियमों के अन्तर्गत आदेश निर्गत होने की तिथि से 6 माह के भीतर अधिसूचित किया जायेगा। इस सम्बंध में नोडल अधिकारी द्वारा आख्या उपलब्ध कराते हुये भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 / 29 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना की मूल प्रति केन्द्र सरकार को समयावधि के अन्तर्गत रिकार्ड हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

Attested
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

भा.स. The User Agency shall pay the additional amount of NPV,if so determined, as per the final decision of the Hon ble Supreme Court of India:

मा0 उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार, यदि अतिरिक्त वर्तमान वास्तविक मूल्य (एन0पी0वी0) निश्चित की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी को इसका भुगतान करना होगा।

(5) भा.स. Plantation should be raised and maintained over an area of 19-05ha identified by the State Government in lieu of strip plantation as per the approved scheme from the funds already deposited by he user agency.

अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पहले से जमा की गयी निधि से वन विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्र 19.05 हे0 में पटरी वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा ।

(6) भा.स Wherever possible and technically feasible, the User Ageny shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval in consultation with the State Forest Department at the project cost

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जहां तक सम्भव हो एवं तकनीकी दृष्टिकोण से सुगम हो, वन विभाग के परामर्श से इस अनुमति से आच्छादित प्रत्यावर्तित भूमि पर सड़क के किनारे परियोजना की लागत पर वृक्षारोपण करायेगा।

(7) भा.स. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट पलान बिना केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(8) भा.स. No labour camp shall be established on the forest land.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।

(9) भा.स. .The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal under no circumstances be transferred to any other agency, department or person .

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि को प्रस्ताव में उल्लिखित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं करेगा और किसी भी परिस्थितियों में किसी अन्य संस्था, विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

(10) भा.स. The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department .The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार के वन विभाग के पर्यवेक्षण में गड्ढों का भराव/पत्थर–बजरी आदि का निपटारा/स्थल सुधार आदि से सम्बंधित कार्य परियोजना समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिये जायेगें।

(11) भा.स. Overburden shall not be dumped outside the width of the road . The muck generated In the earth cutting will be disposed off at the designate dumping sites and in no case the muck/ debris will be allowed to roll down the hill slopes.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के बाहर दोनों ओर मलवा आदि नहीं फेंका जायेगा व कटान के उत्पन्न हुई गंदगी व विजातीय पदार्थों का उस स्थान से हटाकर डंपिंग साइट में डलवा जायेगा।

(12) भा.स. The user agency will provide retaining walls breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा आवश्यकता भूमि कटान को स्थायित्व प्रदान करने हेतु अवरोधक व ड्रेनेज आदि की व्यवस्था की जायेगी।

Attested
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

(13) भा.स. The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the Stat Forest Department .

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना स्थल पर राज्य के वन विभाग के परामर्श से वृहद मृदा संरक्षण उपाय सुनिश्चित किये जायेगें।

(14) भा.स. The use agency will assist the State Government in consultation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State. Attention will be particularly given to providing safe crossing and corridors for wildlife species and protecting sensitive habitat like wetlands, grasslands and woodlands from degradation. Where canopy continuity is required for particular species, special measures shall be prescribed by the CWLW for providing crossing point. Where certain trees used for nesting/rookeries of species like birds of pray, herons,storks,hornbills, etc, are to be destroyed, alternative structure shall be provided and the trees transplanted

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के मुख्य जीव प्रतिपालक की सहायता से क्षेत्रीय जीव जन्तु के संरक्षण कार्य में सहयोग किया जायेगा। मुख्यतयः सुरक्षित पारगमन हेतु जंगली प्रजातियों व संवेदनशील वास स्थान यथा वेटलैंड, चारागाह व जंगल को क्षति न पहुंचाने हेतु सावधानी बरती जायेगी। यथा आवश्यकता विशिष्ठ प्रजातियों की कैनोपी की निर्बाधता सुनिश्चित करने हेतु सी डब्लू एल डब्लू मानको के अनुरूप आवश्यकता व्यवस्था की जायेगी। परियोजना स्थल पर जहां भी स्ट्रोक्स, हार्नबिल के वृक्षों पर स्थित प्राकृतिक वास स्थान अथवा घोसला बने वृक्षों को यदि विनिष्ट किया जाना आवश्यक हो तो वहां उनके स्थान पर वैकल्पिक ढांचा /उपयुक्त वृक्षारोपण का प्राविधान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(15) भा.स. The user agency will not collect any toll tax from the vehicales carrying forest officers on duty.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शासकीय कार्यो के दौरान वन अधिकारियों के वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जायेगा।

(16) भा.स. The designing of cullvets/bridges if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्राकृतिक नदी, नहर आदि पर पुल इत्यादि का विनिर्माण आवश्यक हो तो इस प्रकार के निर्माण से जल बहाव बाधित न हो साथ ही जल भराव की समस्या भी उत्पन्न न हो एवं जंगली जानवरों के विचरण में कोई बाधा न हो।

(17) भा.स. Any tree shall be felled only when it becomes necessary and that too under strict supervision of State Forest Department and at the cost of the User Agency.

वृक्षों का पातन यदि आवश्यक हो, तो राज्य वन विभाग के कड़े पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पातन किया जायेगा।

(18) भा.स. No labour camp shall be established on the forest land. The User agency shall also provide fuels perferbly alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मण्डल निर्माण के स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलाऊ लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

(19) भा.स. The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground with four feet high cement concrete pillars with its serial numbers,forward and back bearing inscribed on it.

परियोजना के व्यय पर प्रत्यावर्तित वन भूमि की 04 फीट ऊंची मजबूत सीमेण्ट कंक्रीट पिलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर पिलर के क्रमांक, बैकवर्ड व फारवर्ड बियरिंग अंकित की जायेगी।

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

(20) भा.स. Ex-situ conservation of endemic species of flora/fauna lost/disturbed in process of execution of the project may be ensured

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में कार्य के दौरान फ्लोरा/फौना के प्रजाति का नुकसान हुआ हो, उसका यथा सम्भव संरक्षण किया जायेगा।

(21) भा.स. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के कारण परिक्षेत्र में उपलब्ध फ्लोरा और फौना को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(22) भा.स. The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project.

यथास्थिति घोंसलायुक्त वृक्षों के कटान के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से वैकल्पिक पक्षीजात वास स्थान का निर्माण यथा किया जायेगा। पक्षियों के वैकल्पिक घोसलों आदि के विनिर्माण में पर्यावरण हितैषी सामग्री का प्रयोग किया जायेगा।

(23) भा.स. The User Agency shall submit the annual self-compliance in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Officer of the Ministry regularly:

प्रयोक्ता अभिकरण उपरोक्त शर्तो के अनुपालन की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार और भारत सरकार के सम्बंधित मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमित रूप से प्रेषित करेगा।

(24) भा.स. Any other condition that the the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिये, समय-समय पर कोई अन्य शर्त लगायी जा सकती है।

(25) भा.स. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts. Rules, Regulations and Guidelines, for the time to time being in force, as applicable to the project.

प्रस्तुत परियोजना हेतु वर्तमान में लागू आवश्यक सभी अधिनियम, नियम/विनियम एवं दिशा-निर्देश का अनुपालन राज्य सरकार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(27) <u>आरक्षित एवं रक्षित वन भूमि (106.391 है0) हेतु</u>

(क) प्रश्नगत भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेण्ट लेकर पट्टाधारक को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।

(ख) पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सक्षम हस्तान्तरक से हस्ताक्षरित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टाविलेख के [illegible] हेतु न्याय (स्टाम्प) अनुभाग के शासनादेश संख्या-199/7 [illegible]-3-83, दिनांक 12-5-1983 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख [illegible] से पूर्व लेखा शीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501 सेवायें और [illegible]-01 [illegible] के लिए शुल्क की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ [illegible] जायेगी।

(ग) प्रश्नगत आरक्षित वनभूमि प्रथम बार 25 वर्षों के लीज पर दी जायेगी, जो वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नवीनीकरण के पश्चात पुनः समय-समय पर बढाया जायेगा।

(28) मा0उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार [illegible]

Attested
[signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग

वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund,Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(29) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(30) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(31) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(32) प्रस्तावित वनभूमि स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा ही किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फेलिंग लॉगिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक–5–1/2007–एफ0सी0, दिनांक 11–12–2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(33) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(34) भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या– J–11013/41/2006–IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable),कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(35) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(36) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(37) प्रस्तावित परियोजना में नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा लगायी गयी शर्तो एवं नेशनल मोनूमेण्ट अथारिटी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी प्रस्तावक विभाग को करना होगा।

(38) उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(39) आदर्श चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत यदि अनुमति आवश्यक हो तो प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– ई0–7/516/दस–2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

31/3/2014

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
2– मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
3– महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4– प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
5– जिलाधिकारी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
6– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
7– उत्तर प्रदेश [illegible] अभिकरण (यूपीनेडा) [illegible] विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 पर संयुक्त जांच आख्या/रिपोर्ट:–

मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:–

1- The applicant is seeking direction from this Hon'ble Tribunal to direct respondents to take adequate steps immediately to enforce the compliance of conditions imposed in para 8, para11 and para 18 of NOC issued by Special Secretary, Uttar Pradesh Government in connection with the permission to use 129.251 hectare the forest lands and cutting of 18632 trees of Kaimoor Wildlife Sanctuary in Sonbhadra, Obra and Renukoot Forest Divisions for the upgradation and widening of the NH-6A to the U.P. State Highway Authority (UPSHA) wherein, it has been stipulated that no labour camp shall be established on the Forest Land. However, in violation of the said provision ACP Toll-ways Private Limited has constructed residential colony and offices of permanent nature in the eco-sensitive zone on the land of Reserve Forest Area at Lodhi, Robertsganj in the District Sonbhadra.

2- Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Additional Chief Secretary, Forest Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Sonbhadra and direct the same to meet, undertake visit to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3- In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms, then it shall forward a copy of its report to:-

(i) the concerned Project Proponents to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

against observations/recommendations in the same and their response before this Tribunal is so desired within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee; and

(ii) the concerned Statutory Authorities including State PCB, PCCF (HoFF) and District Magistrate, Sonbhadra to enable them to take appropriate remedial action by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution /degradation and for protection and improvement of environment and submit their action taken reports within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee.

मा0 राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022 Ashish Chaubey Vs ACP Tollways Private Limited & Ors में पारित आदेश दिनांक–07.09.2022 पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, गोमती नगर, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–एच 85490/सी 2/एन0जी0टी0–07/22 दिनांक–12.12.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोनभद्र को, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक–445/36–8 (एन0जी0टी0) दिनांक–16.12.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, ओवरा वन प्रभाग को तथा जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र को समिति का सदस्य नामित किया गया है।

उक्त के कम में दिनांक–31.12.2022 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओवरा, अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोनभद्र द्वारा संयुक्त रुप से प्रश्नगत क्षेत्र के मौके का निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, सोनभद्र द्वारा शिकायतकर्ता श्री आशीष चौवे के मो0नं0 7838296401 पर सम्पर्क स्थापित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तिथि को मौके पर आने से असमर्थता व्यक्त की गयी। मौके के निरीक्षण के पश्चात अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जिसमें सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:–

1. अवगत कराना है कि "उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु (1) मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 0.00 से 39 तक 21.727हे आरक्षित एवं 22.860हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 44.587हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग ए बाधक 3670 वृक्षों का पातन (2) सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र में किमी0 72.00 से 73.00 किमी0 तक 7.517हे0 आरक्षित वन भूमि (3) कैमूर वन्य जीव प्रभाग, जनपद मीरजापुर में किमी0 76.00 से 87.00 किमी0 तक 19.80हे0 रक्षित वन वन भूमि बाधक 1465 वृक्षों के पातन (4) ओवरा वन प्रभाग, जनपद–सोनभद्र में किमी0 87.00 से 115.00 तक 52.577हे0 रक्षित वन भूमि एवं बाधक 10386 वृक्षों का पातन (5) रेनुकूट वन प्रभाग, जनपद–सोनभद्र में किमी0 15.60 से 117.65 किमी0 तक 4.77हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3111 वृक्षों का पातन, परियोजना के समेकि प्रस्ताव में कुल 34.014हे0 आरक्षित वन भूमि, 72.377हे0 रक्षित वन भूमि, 22.860हे0 संरक्षित र

Attested

उप प्रभागीय व...
सोनभद्र वन प्र...

कुल 129.251हे0 (आरक्षित/रक्षित/संरक्षित) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल अधिक 18632 वृक्षों के पातन के सगेकित प्रस्ताव के अनुमति" के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा 39 शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी किया गया है। जिसके शर्त संख्या 8, 11 व 18 निम्नानुसार है:–

शर्त संख्या–8:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।

शर्त संख्या–11:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के बाहर दोनो ओर कगरा आदि नहीं बनाया जायेगा व कटान के समय हुयी गन्दगी व विजातीय पदार्थो का उस स्थान से हटाकर डम्पिंग क्षेत्रों में दबाया जायेगा।

शर्त संख्या–18:– वन भूमि पर श्रमिक आवास स्थापित नहीं किया जायेगा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ को जलौनी लकड़ी के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा ताकि समीप के वन क्षेत्र में न किसी प्रकार का क्षति हो तथा न वन क्षेत्र पर दबाव पड़े।

2. प्रकरण ग्राम–लोढी, परगना–बड़हर, तहसील–रावर्टसगंज, जनपद–सोनभद्र में स्थापित ए0सी0पी0 टोलवेज प्राईवेट लि0 द्वारा वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के किमी0 72.00 से 73.00 के बीच (साविक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से बना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0) से सम्बन्धित है, जो कि सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। उक्त निर्माण कार्य कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा के अन्दर है।

3. उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में तत्समय में प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र तथा मौके पर निर्माण कार्य में निम्नलिखित भिन्नता पायी गयी:–

i. ले–आउट प्लान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं टोल प्लाजा तथा पूर्व निर्मित मार्ग के बांयी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग व आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का विस्तृत फ्लोर प्लान/ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

ii. प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर पूर्व में निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण न करते हुए नये मार्ग का निर्माण तथा नये मार्ग के दायी तरफ एकीकृत एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एवं आवासीय कक्षो का निर्माण किया गया। जो ले–आउट प्लान के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है।

iii. ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार किमी0 72.00 से किमी0 73.00 तक पूर्व निर्मित मार्ग बांयी तरफ आफिस बिल्डिंग निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु मौके पर नये मार्ग का निर्माण किया गया है। जो ले–आउट प्लान के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है।

अतः उक्त निर्माण कार्य प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान/मानचित्र के अनुसार सही नहीं प्रतीत होता है। ले–आउट प्लान, टोपोशीट व गूगल अर्थ से प्राप्त प्रश्नगत क्षेत्र का भू–चित्र की प्रति संलग्न है, संलग्नक–1।

4. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1101/सोनभद्र/33 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "इस वन प्रभाग के

Attested
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

अन्तर्गत उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किमी0 72.00 से 73.00 ग्राम–लोढी के साविक गाटा संख्या 951, 1099 व 1100 से वना हाल नम्बर 1181 व 1184 क्षेत्रफल 7.517हे0 वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण/उच्चीकरण तथा टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं आफिस के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं टोपाशीट के अनुसार विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या–3308/14–2–2013–800(70)/2013 दिनांक–31.03.2014 द्वारा अनुमति जारी किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार आफिस एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थापित आफिस एवं प्रशासनिक भवन हस्तान्तरित वन भूमि 7.517हे0 पर ही वांयी पटरी से इतर दायी पटरी पर किया गया है।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संनग्नक–2।

5. प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1611/33–1 दिनांक–12.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि "प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम–लोढी में पूर्व से निर्मित वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग के वांयी तरफ निर्मित टोल प्लाजा एवं आवासीय कालोनी आदि कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेंसटिव जोन के अन्दर है, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय अभिलेखों में नहीं पाया गया।" पत्र की छायाप्रति संलग्न है, संनग्नक–3।

अतः उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) एन0एस0–5ए के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र के अन्तर्गत किमी0 संख्या 72.00 से 73.00 के मध्य मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण कार्य एवं टोल प्लाजा का निर्माण हेतु 7.517हे0 वन भूमि की अनुमति लिया गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव विल्डिंग का विस्तृत फ्लोर प्लान/ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न ले–आउट प्लान के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत है, जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद से अनुमति लिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र	अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र।	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संयुक्त जाँच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त किया

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

749

5

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवा तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No: 0522 2326696
Email: [illegible]

File No. [illegible] / 942

Dated: 18.04.2024

By-Email COURT MATTER
URGENT

To,

Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)
Forest Department, U.P
17, Rana Pratap Marg, Lucknow
Email:pccf-up@nic.in

Subject: In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollyways Pvt. Ltd. & Ors - reg:

Sir,

Kindly refer to the above cited subject matter and referred letter. The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 22.08.2023, relevant para reads as:

"4. *The report submitted by the Joint Committee and the DFO reveals the serious violations of Environment Protection Rules by contractor.*

5. Learned Counsel appearing for the State had submitted that actions are being taken by the persons who have violated the conditions. We direct the MoEF&CC to examine the matter and take action according to law, in addition to calculation and realization of environmental compensation. Further, in case of violation and construction against the conditions in violation Eco Sensitive Zone, structure if requires to be demolished, must be demolished and remedial measures be taken according to the rules. Further action taken report be filed by the MoEF&CC and NHAI within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF... ..."

In compliance of above order, meetings were convened under the Chairmanship of Deputy Director General, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Lucknow along with Dr. Prachi Gangwar, Deputy Inspector General of Forest, Dr. Pranay Misra, Assistant Inspector General of Forest with Shri Arvind Yadav, DFO Kannauj, Shri Kunj Mohan Verma, DFO, Sonbhadra, Shri Umesh Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.

Attested
[signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

...EF&CC, RO, Lucknow thus in compliance of Hon'ble NGT order recommends that following compensation may be imposed for violation of Forest (Conservation) Act-

...i NPV equal to 5 times of NPV of forest land which has been utilized for construction ... Toll Plaza also User Agency may be asked to deposit money for plantation (on forest land) on double the area used for construction of Toll Plaza.

DFO, Sonbhadra may raise demand note accordingly for deposition of levies in Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)"

You are requested to direct the concerned officials for deposition of penal levies from the user agency within 7 days so as to comply with Hon'ble Tribunal order(s).

Encl: As above

Yours Sincerely

22/04/24

(Dr. Prachi Gangwar)
Deputy Inspector General of Forest

Copy to for similar action:

1. **Principal Chief Conservator of Forest/Nodal Officer, Forest Department, U.P,17, Rana Pratap Marg, Lucknow.Email:ccfnodal@gmail.com**
2. **Divisional Forest Officer, Sonbhadra. Email: dfosone@yahoo.co.in**
3. **GM (Admin) U.P. State Highway Authority, Lucknow. Email: info@upsha with a direction to deposited the levies as per the demand note raised by the DFO to comply Hon'ble Tribunal Order(s).**

22/04/24

(Dr. Prachi Gangwar)
Deputy Inspector General of Forest

वि०...

...23/4/24

7029
33
8/5/24

8.5.24

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3263 /11–सी, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 22, 2024
प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।

UP0/... /33 दिनांक अप्रैल 24–2024

Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
दुद्धी
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

(6)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 1884 /सोनभद्र/33, दिनांक, रावर्ट्सगंज, अप्रैल 24 ,2024

सेवा में,

मुख्य कार्य पालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य मार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर–लखनऊ–226010

विषय– In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollways Pvt. Ltd. & ors-reg.

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक–IL-1308/U.P./2022/42 , दिनांक 18.04.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3263/11–सी, दिनांक 22.04.2024।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/2022, आशीष चौबे बनाम ए0सी0पी0 टोलवेज प्रा0लि0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–22.08.2023:–

"Learned Counsel apperaring for the State had submitted that actions are being taken by the persons who have violated the conditions. We direct the MoEF&CC to examine the matter and take action according to law, in addition to calculation and realization of environmental compensation. Further, in case of violation and constructions against the vonditions in violation Eco Sensitive Zone, structure, if requires to be demolished, must be demolished and remedial measures be taken according to the rules, Further action taken report be filed by the MoEF&CC and NHAI within two months by e-mail not in the from of Image PDF….. " के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से (छायाप्रति संलग्न) वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया गया है– "Penal NPV equal to 5 times of NPV of forest land which has been utilized for construction of Toll Plaza also User Agency may be aked to deposit money of Plantation (on forets land) on double the area used for contruction of Toll Plaza "

अतः उक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि निम्नानुसार धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कैम्पा में जमा कराने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	परियोजना में प्रभावित वन भूमि (हे0में)	प्रभावित वनभूमि के पांच गुने एन0पी0वी0 की धनराशि	प्रभावित वनभूमि के दो गुने अर्थात (7.517X2 = 15.034 हे0) पर वृक्षारोपण की धनराशि	कुल वांछित धनराशि
1	2	3	4	5
1	7.517	7.517 X 5 X 957780.00 = 3,59,98,161.00	28,35,200.00	3,88,33,361.00

रू0–तीन करोड़ अट्ठासी लाख तैंतिस हजार तीन सौ इकसठ मात्र।

भवदीय

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

संख्या– 1884 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित। ।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र उ0प्र0 मिर्जापुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

Attested

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

(7)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 18 /सोनभद्र/33 , दिनांक, रावर्ट्सगंज जुलाई 03 , 2024।

सेवा में,

मुख्य कार्य पालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य मार्ग प्राधिकरण,
चतुर्थ तल किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर–लखनऊ–226010।

विषय– In Compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollways Pvt. Ltd. & ors-reg.

सन्दर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ का अर्द्धशासकीय पत्रांक– L-1308/UP/2022/42 Dated 18.04.2024 , मुख्य वन संरक्ष/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–3263/11–सी दिनांक–22.04.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1884/सोनभद्र/33 दिनांक–24.04.2024।

महोदय,

इस कार्यालय का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्नक) का अवलोकन करने का क करें जिसके द्वारा आपसे मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–636/202 आशीष चौबे बनाम ए0सी0पी0 टोलवेज प्रा0 लि0 व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–22.08.2023 के अनुपालन में पर्याव एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा अपने पत्र सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन संर अधिनियम उल्लंघन हेतु दिये गये निर्देश– ***'Penal NPV equal to 5 times of NPV of forest land whi has been utilized for construction of Toll plaza also User Agency may be asked to depos money of Plantation(on forest land) on double the area used for construction of Tol Plaza'*** के क्रम में आपसे रू0–3,88,33,361.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) कैम्पा में जमा करने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु आप द्व उक्त धनराशि दिनांक–02.07.2024 तक जमा नहीं कराया जा सका है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा आगणित धनराशि रू0–3,88,33,3 00(तीन करोड़ अट्ठासी लाख तैंतिस हजार तीन सौ इकसठ रूपये) कैम्पा में जमा कराने का कष्ट करें, ता दिनांक–10.07.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके। यदि द्व द्वारा उक्त धनराशि नहीं जमा करायी जाती है तो मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कोई विपरीत निर्णय दिया जाता है तो हेतु आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

Attested
Singh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र

संख्या/ 18 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

उत्तर प्रदेश सरकार

वन विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

10 अगस्त, 1982 ई0

सं0 908/14-3—44-78—चूंकि राज्य सरकार की राय है कि पर्याप्त पारिस्थितिक, प्राणि जात, वानस्पतिक, भू-आकृतिक, प्राकृतिक और प्राणिशास्त्रीय महत्व के ऐसे क्षेत्र को, जिसका ब्योरा नीचे अनुसूची में दिया गया है, उसमें वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजनार्थ वन्यजीव विहार के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है ;

अतएव, अब, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53, 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त क्षेत्र को वन्य जीव विहार के रूप में घोषित करते हैं जिसका नाम "कैमूर वन्य जीव विहार" होगा :

अनुसूची

"कैमूर वन्य जीव विहार" में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का ब्योरा—

वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वन ब्लाक का नाम	क्षेत्रफल
1	2	3	4
			हेक्टेयर में
1—उत्तरी मिर्जापुर	1—हलिया	1—सगरा	3,000.2
		2—हिलिया	4,150.0
		3—हर्रा	3,541.7
		4—परसिया	2,625.9
		5—चौरा	1,333.5
		6—मटवार	1,341.5
		योग ..	15,992.8
	2—घोरावल	1—तेंदुहार	3,113.6
		2—सिमरा	3,137.9
		3—परसोना	2,471.3
		4—शिवद्वार	2,149.8
		5—दुमखड़ी	3,659.4
		6—राजपुर	2,608.3
		7—राबर्ट्सगंज	2,234.9
		योग ..	19,375.2
2—अगोरी	गुरमा	1—सिल्ली	1,271.9
		2—[illegible]	2,521.6
		3—बेलवा	880.6
		4—मलीर	886.0
		5—गुरधाह	925.5
		6—बलुई	291.8
अगोरी	गुरमा	7—मारकुण्डी	495.3
		8—गुरमा	942.5
		9—बेलछ	1,063.0
		10—पटवध	1,002.8
		11—कनच	921.1
		12—पकड़ी	1,406.7
		13—मंगेश्वर	1,325.0
		14—कन्धौरा	972.0
		योग ..	14,705.8
		कुल योग ..	50,073.8
			हेक्टेयर या 500.74 वर्ग किमी0 या 501 वर्ग किमी0

सीमा का विवरण :—

1—उत्तर—बेलन नदी, गोहरी ब्लाक, पन्जरा ब्लाक, लुदकी ब्लाक, परसोना ब्लाक, घोरावल ब्लाक तथा राबर्ट्सगंज तहसील के निम्नलिखित ग्राम :—सेमरा खुर्द, परसोना, बर, वदिरिया, देवगढ़, हिनौती, पड़पनिया, लिलपाही, चिगोरी, बन्धा, जमखरी, रिफहरा, गढ़मा, खजुरौल, मुखधारा, डोमहर, केवटा, तेनुई, गूखत, चुगौलिया, फलझड़ी, बड़ागाटों, ओनील, जुडौली, परधानी, जुडोली, ओलापी, रैंपुरा, सेंदुरी, रघुनाथपुर, बहुआर, बसौली, अमौली, बघुआरी, तिलौली, सेमरा, लोधी इत्यादि ।

2—पूर्व—राबर्ट्सगंज—पिपरी सड़क मार्ग, कैमूर की पहाड़ी और तरिया रेंज का सनई ब्लाक।

3—दक्षिण—सोन नदी, गुर्मा रेंज का करगरा ब्लाक, सोन नदी, कैमूर की पहाड़ी, बेलन नदी और कैमूर की पहाड़ी।

4—पश्चिम—बन्जारी वन ब्लाक और मिर्जापुर सदर तहसील के निम्नलिखित ग्राम—चौरा, बिजरिया, योगुना, परवा, पट्वरा, तीता, बेवरी, फुलवारी, गजरिया, सिलहटा, घोपा, कावलकर, सम्हरियाकला, मवधा जलाशय, बरहुला, गुर्गा, महुगी जलाशय, महुगी खुर्द, बघोही, मधोर, दिघिया, हलिया, बसुहरा, मवई खुर्द, बेनघटा पाण्डे, लरिहर खुर्द, आदि।

आज्ञा से,

जगदीश चन्द्र पन्त,

सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provisons of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 908/14-3—44-78, dated August 10, 1982 :

No. 908/14-3—44-78
August 10, 1982

Whereas, the State Government is of the opinion that the area, the details of which are given in the Schedule below is of adequate ecological, faunal floral, geomorphological, natural and zoological significance for the purpose of protecting propogating and developing wild life therein and its environment ;

Now, therefore in exercise of the powers under sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act no. 53, of 1972), the Governor is pleased to declare the said area as a sanctuary to be named as 'Kaimur Sanctuary'.

Schedule

Details of the area to be included in "Kaimur Sanctuary".

Boundary description :

1. *North.*—River Belan, Gohra Block, Panjra Block, Ludki Block, Parsona Block, Ghorawal Block and following villages of Robertsganj, tehsil Semra Khurd, Parsona, Var Badricha, Deogarh, Hinauti, Parhpania, Lilpahi, Chigori, Bandha, Jamkhari, Rikhara, Garma, Khajuraul, Mukhdhara, Domihar, Kewta, Tenui, Gukhel, Chagaulia, Phaljhari, Baragato, Onohi Jurholi, Pardhani, Olapi, Rajpura, Senduri, Raghunathpur Bahuar, Basauli, Amauli, Badhwari, Tilauli, Simra, Lodhi, etc.

2. *East.*—Robertsganj—Pipri Road, Kaimur Hills and Sannai Block of Taria Range.

3. *South.*—Son River, Kargara Block of Gurma Range Son river Kaimur Hills, Belan river and Kaimur Hills.

4. *West.*—Banjari Forest Block and following villages of Mirzapur Sadar Tehsil Chaura, Bidaria, Thoguna, Varaya, Patwara, Tita, Deori, Phulpari, Gajaria, Silhata, Thotha, Kawalkar, Khamaria Kalan, Adwa reservoir, Barhula, Gurga, Ahugi reservoir, Ahugi Kalan, Barhohi, Maghor, Dighia, Halia, Vasuhara, Madai Khurd, Deoghata Pandey and Kharhar Khurd, etc.

Area :

This Sanctuary will compriso areas given here under :

Name of forest division	Name of range	Name of forest block		Area
1	2	3		4
				Hectare
North Mirzapur.	1. Halia	1. Sagra	..	3,000.02
		2. Halia	..	4,150.00
		3. Harra	..	3,541.07
		4. Parsia	..	2,625.09
		5. Chaura	..	1,333.05
		6. Matwar	..	1,341.05
		Total	..	15,992.0
	2. Ghorawal	1. Tenduhar	..	3,113.06
		2. Semra	..	3,137.09
		3. Parsona	..	2,471.03
		4. Sheoduwar	..	2,149.08
		5. Dumkhari	..	3,659.04
		6. Rajpur	..	2,608.03
		7. Robertsganj		2,234.09
		Total	..	19,375.02
Agori	Gurma	1. Silpi	..	1,271.00
		2. Jamuna	..	2,521.06
		3. Balwa	..	880.06
		4. Alaur	..	686.00
		5. Gurdah	..	925.05
		6. Balui	..	291.08
		7. Markundi	..	495.03
		8. Gurma	..	942.05
		9. Belach	..	1,063.00
		10. Patwadh	..	1,002.08
		11. Kanach	..	921.01
		12. Pakari	..	1,406.07
		13. Mangeshwa-		1,325.00
		14. Kandhaura	..	972.00
		Total	..	14,705.08
		GRAND TOTAL	..	50,073.08 or 500.74 sq. km. or 501 sq. km.

By order,
JAGDISH CHANDRA PANT,
Sachiv.

टिप्पणी—राजपत्र दिनांक 16-10-82, भाग 1 में प्रकाशित है।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी० एस० यू० पी०—15 सा० (वन)-3-11-82-25 (मोनो)।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2017/फाल्गुन 29, 1938
No. 801] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2017/PHALGUNA 29, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

का.आ. 891(अ).— प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2601 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश राज्य के जिले मिर्जापुर और सोनभद्र में 24° 27' 51" ''उ0 से 24° 52' 0.9" ''उ0 और 24° 38' 19.11"'' उ0 से 24° 39' 9.05"'' उ0 अक्षांश और 82° 20' 15.30" ''पू0 से 83° 08' 23.3" ''पू0 और 82° 44' 59.9"'' पू0 से 82° 45' 0.07"'' पू0 देशांतर के बीच अवस्थित है और 500.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

और, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य काला हिरण (*एन्टिलोप करविकापरा*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हैना हैना*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), भारतीय लोमड़ी (*वुल्पस बेंगलेंसिस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), बंदर, चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), और चिंकारा (*गज़ेला बेंनेटी*) के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करना है। यहाँ पर कई जन्तुचर और कई प्रकार के जलीय तथा स्थलीय पक्षी पाये जाते है। इस अभयारण्य में सभी मुख्य सरीसृपों का प्रतिनिधित्व है। जिनमें मोनीटर लिजार्ड (*वरानस स्पा.*), कोबरा (*ओफ़िओफैगस हन्ना*), सामान्य करैट (*बंगरस कैरियुलेस*), रसेल वाइपर (*दबोइया*), रैट स्नैक (*पैथरोफिस ओबसोलेटस*) तथा पायथन (*पायथन एसपी*) सम्मिलित हैं। स्वच्छ जल मगरमच्छ, बेलन तथा बाखार नदियों में पाये जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तार क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र में इसके अक्षांश और देशांतर और जीपीएस निर्देशांकों के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपावद्ध है।

(3) कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जीपीएस निर्देशांकों के बिंदुओं का ब्यौरा **उपाबंध II** के रूप में उपावद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 70 ग्रामों की सूची के साथ भूमंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपावद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी। उक्त महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने संबद्ध राज्य के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास ;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी.। योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के द्वारा अपने कार्यों के वाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संवद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अंतर्गत दिया गया है:

(ग) परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

(ङ.) परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

(3) **पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से परे है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरणों में जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **यानीय यातायात.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध विनियमित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(14) **औद्योगिक इकाईयां** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण**- पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का उपदर्शित होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. **प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणीयां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विस्तार आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा दी जाएगी।
4.	नई प्रमुख पनविजली परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित वहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	नए काष्ठ आधारित उपयोग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।
8.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	कोई नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या सीमा तक पारिस्थितिक पर्यावरण क्रियाकलापों से संबंद्ध पर्यटकों के अस्थाई आवास के सिवाय, जो नजदीक हो अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु, जहां पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

		ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) नए प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय लोग को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे, यदि कोई हो।
12.	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन पीने के पानी या स्थानीय लोगों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियमित होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	प्रवासी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	पोलिथीन थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वायु और यानीय प्रदूषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपाबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे।
26.	ध्वनि प्रदूषण।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार होगा।
29.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी हेतु एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. आयुक्त, मिर्जापुर - अध्यक्ष
2. जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
3. जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर का एक प्रतिनिधि - सदस्य
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र या मिर्जापुर - सदस्य
5. क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

6. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य

7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ – सदस्य

8. राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य– सदस्य

9. उप वन संरक्षक, कैमूर वन्यजीव खंड – सदस्य सचिव।

6. निबंधन और संदर्भ

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध IV पर उपावद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(7) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(8) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/112/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपाबंध I

जीपीएस निर्देशांकों के साथ कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

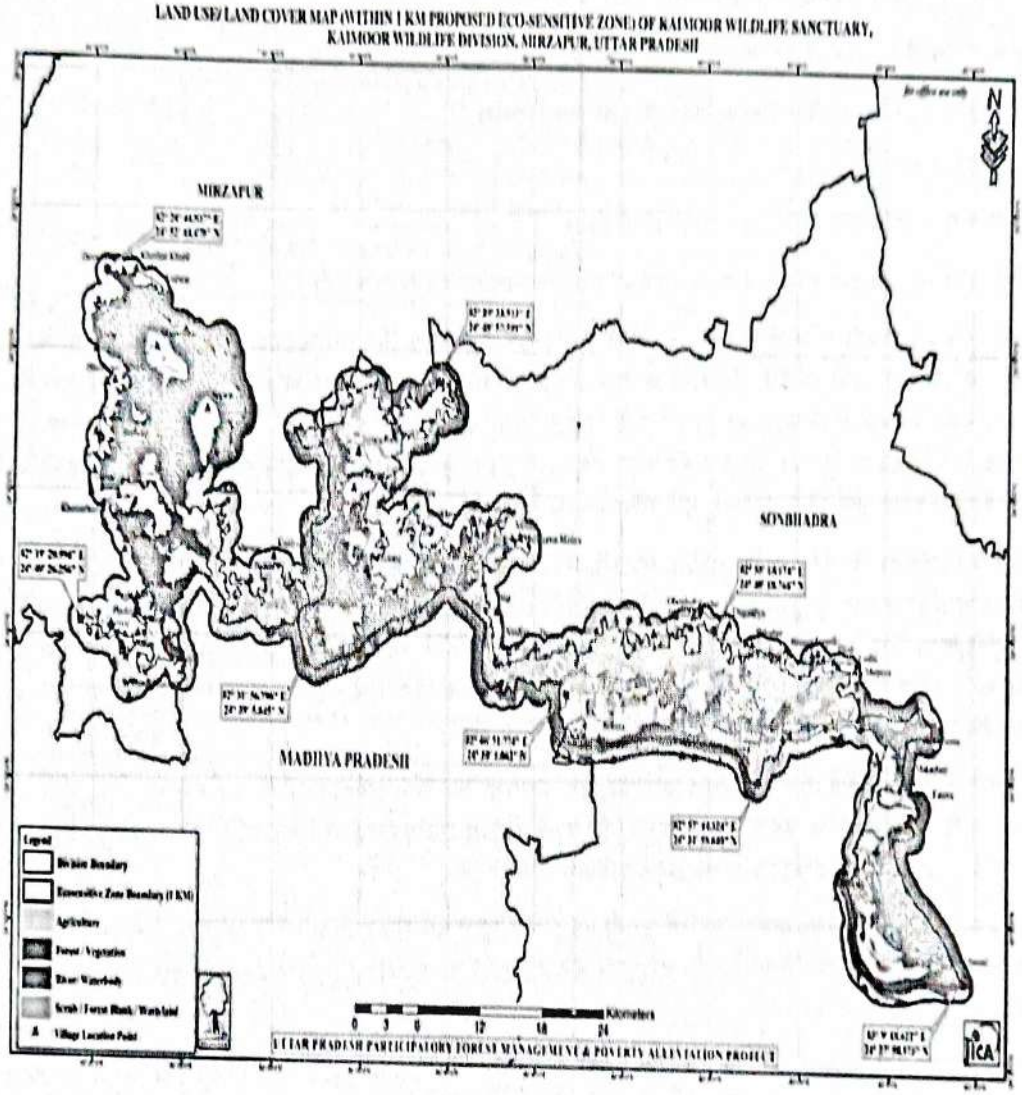

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपाबंध II

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोनभद्रा/मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के जीपीएस निर्देशांक

कैमूर वन्यजीव प्रभाग के सीमा निर्देशांक की सूची जिला-मिर्जापुर/सोनभद्रा

आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	82° 20' 44.537" पू	24° 52' 44.470" उ
2	82° 22' 16.560" पू	24° 52' 34.479" उ
3	82° 23' 28.326" पू	24° 52' 8.018" उ
4	82° 24' 13.157" पू	24° 50' 59.364" उ
5	82° 25' 13.151" पू	24° 50' 42.154" उ
6	82° 26' 45.656" पू	24° 49' 57.996" उ
7	82° 27' 33.291" पू	24° 50' 16.672" उ
8	82° 27' 54.772" पू	24° 49' 42.345" उ
9	82° 28' 6.780" पू	24° 48' 38.153" उ
10	82° 28' 28.870" पू	24° 47' 38.855" उ
11	82° 27' 40.427" पू	24° 47' 27.681" उ
12	82° 27' 45.437" पू	24° 46' 48.522" उ
13	82° 26' 55.905" पू	24° 46' 21.543" उ
14	82° 26' 16.316" पू	24° 45' 46.975" उ
15	82° 25' 24.233" पू	24° 45' 34.990" उ
16	82° 25' 26.066" पू	24° 44' 15.919" उ
17	82° 27' 36.667" पू	24° 44' 42.123" उ
18	82° 27' 2.338" पू	24° 43' 49.200" उ
19	82° 26' 57.923" पू	24° 42' 42.671" उ
20	82° 27' 25.559" पू	24° 41' 50.811" उ
21	82° 27' 53.122" पू	24° 40' 53.125" उ
22	82° 28' 40.231" पू	24° 41' 49.249" उ
23	82° 29' 41.111" पू	24° 41' 36.996" उ
24	82° 30' 24.495" पू	24° 42' 24.825" उ
25	82° 30' 56.730" पू	24° 41' 38.734" उ
26	82° 31' 49.683" पू	24° 41' 49.014" उ
27	82° 33' 0.430" पू	24° 41' 24.989" उ
28	82° 32' 42.148" पू	24° 42' 33.411" उ
29	82° 32' 20.913" पू	24° 43' 24.388" उ
30	82° 33' 2.388" पू	24° 44' 3.070" उ
31	82° 33' 14.676" पू	24° 44' 38.724" उ
32	82° 33' 17.264" पू	24° 45' 40.273" उ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

33	82° 32' 47.958" पू	24° 46' 42.152" उ
34	82° 31' 52.286" पू	24° 46' 36.068" उ
35	82° 31' 22.660" पू	24° 47' 12.983" उ
36	82° 32' 55.661" पू	24° 47' 15.357" उ
37	82° 33' 59.666" पू	24° 47' 31.333" उ
38	82° 34' 31.105" पू	24° 48' 6.783" उ
39	82° 34' 16.124" पू	24° 48' 47.714" उ
40	82° 36' 0.136" पू	24° 48' 54.100" उ
41	82° 36' 7.688" पू	24° 48' 3.261" उ
42	82° 36' 41.357" पू	24° 47' 58.739" उ
43	82° 37' 12.443" पू	24° 48' 5.892" उ
44	82° 37' 52.841" पू	24° 48' 27.919" उ
45	82° 38' 49.286" पू	24° 48' 22.308" उ
46	82° 39' 33.513" पू	24° 48' 57.599" उ
47	82° 40' 6.250" पू	24° 48' 51.410" उ
48	82° 40' 19.531" पू	24° 48' 22.139" उ
49	82° 40' 37.447" पू	24° 47' 58.641" उ
50	82° 39' 50.677" पू	24° 47' 37.529" उ
51	82° 39' 6.909" पू	24° 47' 36.350" उ
52	82° 38' 47.364" पू	24° 47' 5.778" उ
53	82° 37' 29.880" पू	24° 47' 4.961" उ
54	82° 37' 19.891" पू	24° 45' 57.670" उ
55	82° 36' 22.884" पू	24° 45' 18.344" उ
56	82° 35' 27.963" पू	24° 44' 58.960" उ
57	82° 35' 21.777" पू	24° 44' 2.442" उ
58	82° 36' 17.004" पू	24° 43' 35.227" उ
59	82° 35' 31.258" पू	24° 42' 8.344" उ
60	82° 37' 1.012" पू	24° 41' 35.764" उ
61	82° 38' 19.353" पू	24° 42' 46.474" उ
62	82° 37' 19.042" पू	24° 43' 42.048" उ
63	82° 38' 18.059" पू	24° 44' 36.324" उ
64	82° 39' 7.483" पू	24° 43' 44.192" उ
65	82° 38' 32.421" पू	24° 43' 10.462" उ
66	82° 40' 40.824" पू	24° 43' 7.376" उ
67	82° 41' 16.582" पू	24° 43' 24.448" उ
68	82° 41' 29.064" पू	24° 44' 11.736" उ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

69	82° 42' 18.027" पू	24° 43' 54.540" उ
70	82° 43' 33.202" पू	24° 44' 28.626" उ
71	82° 43' 3.537" पू	24° 43' 51.524" उ
72	82° 43' 53.256" पू	24° 43' 23.494" उ
73	82° 44' 44.110" पू	24° 43' 12.088" उ
74	82° 43' 19.132" पू	24° 42' 53.101" उ
75	82° 42' 26.787" पू	24° 42' 22.080" उ
76	82° 42' 7.243" पू	24° 41' 51.516" उ
77	82° 42' 13.793" पू	24° 40' 57.356" उ
78	82° 42' 37.685" पू	24° 40' 6.328" उ
79	82° 42' 42.342" पू	24° 39' 7.198" उ
80	82° 43' 33.330" पू	24° 39' 7.446" उ
81	82° 44' 39.057" पू	24° 39' 20.000" उ
82	82° 45' 39.173" पू	24° 39' 21.795" उ
83	82° 47' 24.566" पू	24° 39' 6.405" उ
84	82° 48' 15.098" पू	24° 39' 38.251" उ
85	82° 49' 3.387" पू	24° 40' 43.400" उ
86	82° 50' 23.281" पू	24° 39' 25.047" उ
87	82° 52' 16.527" पू	24° 39' 48.609" उ
88	82° 54' 3.742" पू	24° 39' 33.951" उ
89	82° 55' 18.174" पू	24° 40' 18.764" उ
90	82° 57' 45.010" पू	24° 39' 36.097" उ
91	83° 0' 8.900" पू	24° 38' 41.783" उ
92	83° 2' 20.305" पू	24° 39' 1.647" उ
93	83° 3' 27.460" पू	24° 37' 53.342" उ
94	83° 3' 26.833" पू	24° 37' 15.080" उ
95	83° 5' 50.582" पू	24° 37' 12.262" उ
96	83° 7' 21.512" पू	24° 37' 7.659" उ
97	83° 6' 7.959" पू	24° 36' 22.934" उ
98	83° 5' 44.489" पू	24° 34' 45.090" उ
99	83° 4' 33.404" पू	24° 34' 37.755" उ
100	83° 6' 48.259" पू	24° 33' 55.945" उ
101	83° 6' 30.339" पू	24° 33' 17.926" उ
102	83° 5' 21.830" पू	24° 33' 0.577" उ
103	83° 6' 6.490" पू	24° 31' 16.793" उ
104	83° 8' 33.276" पू	24° 28' 58.287" उ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

105	83° 9' 18.622" पू	24° 27' 58.573" उ
106	83° 7' 5.022" पू	24° 27' 59.631" उ
107	83° 4' 35.861" पू	24° 27' 54.214" उ
108	83° 3' 25.626" पू	24° 28' 35.110" उ
109	83° 3' 9.735" पू	24° 30' 0.189" उ
110	83° 2' 36.645" पू	24° 31' 30.492" उ
111	83° 3' 17.598" पू	24° 32' 28.174" उ
112	83° 3' 46.634" पू	24° 34' 15.103" उ
113	83° 4' 12.634" पू	24° 34' 47.193" उ
114	83° 4' 55.976" पू	24° 36' 17.279" उ
115	83° 3' 31.884" पू	24° 36' 50.052" उ
116	83° 1' 35.435" पू	24° 36' 52.465" उ
117	82° 59' 9.511" पू	24° 36' 32.780" उ
118	82° 57' 44.324" पू	24° 34' 59.049" उ
119	82° 47' 54.579" पू	24° 36' 57.078" उ
120	82° 46' 51.774" पू	24° 38' 1.062" उ
121	82° 42' 13.386" पू	24° 40' 27.406" उ
122	82° 39' 49.624" पू	24° 41' 44.738" उ
123	82° 38' 30.686" पू	24° 40' 58.178" उ
124	82° 35' 47.004" पू	24° 40' 5.857" उ
125	82° 33' 8.706" पू	24° 39' 4.275" उ
126	82° 31' 56.796" पू	24° 39' 5.845" उ
127	82° 31' 31.437" पू	24° 40' 31.812" उ
128	82° 30' 44.037" पू	24° 40' 28.131" उ
129	82° 29' 40.099" पू	24° 40' 12.128" उ
130	82° 28' 18.365" पू	24° 40' 31.243" उ
131	82° 27' 9.131" पू	24° 40' 29.420" उ
132	82° 26' 30.962" पू	24° 41' 55.499" उ
133	82° 25' 22.462" पू	24° 42' 59.396" उ
134	82° 24' 14.784" पू	24° 42' 35.902" उ
135	82° 24' 19.624" पू	24° 41' 40.102" उ
136	82° 25' 50.196" पू	24° 42' 15.029" उ
137	82° 24' 59.461" पू	24° 41' 18.924" उ
138	82° 23' 56.957" पू	24° 40' 27.916" उ
139	82° 25' 1.722" पू	24° 39' 16.576" उ
140	82° 24' 26.130" पू	24° 39' 9.421" उ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

141	82° 22' 57.459" पू	24° 38' 37.790" उ
142	82° 22' 35.100" पू	24° 39' 14.610" उ
143	82° 23' 19.014" पू	24° 39' 33.346" उ
144	82° 21' 52.217" पू	24° 39' 6.680" उ
145	82° 21' 23.569" पू	24° 39' 51.876" उ
146	82° 19' 20.994" पू	24° 40' 26.256" उ
147	82° 20' 22.175" पू	24° 40' 41.525" उ
148	82° 21' 50.029" पू	24° 39' 56.630" उ
149	82° 22' 52.912" पू	24° 40' 1.048" उ
150	82° 21' 25.461" पू	24° 41' 22.565" उ
151	82° 23' 18.730" पू	24° 40' 29.936" उ
152	82° 23' 21.988" पू	24° 41' 17.338" उ
153	82° 22' 38.804" पू	24° 42' 6.002" उ
154	82° 21' 53.989" पू	24° 43' 12.984" उ
155	82° 21' 8.079" पू	24° 44' 4.162" उ
156	82° 22' 24.090" पू	24° 44' 39.253" उ
157	82° 23' 19.308" पू	24° 44' 6.291" उ
158	82° 24' 11.756" पू	24° 43' 30.852" उ
159	82° 24' 5.065" पू	24° 44' 24.172" उ
160	82° 23' 26.416" पू	24° 45' 11.964" उ
161	82° 21' 40.745" पू	24° 45' 15.431" उ
162	82° 20' 32.235" पू	24° 45' 0.239" उ
163	82° 20' 11.114" पू	24° 46' 10.329" उ
164	82° 21' 0.722" पू	24° 46' 46.499" उ
165	82° 22' 48.661" पू	24° 47' 21.297" उ
166	82° 22' 3.044" पू	24° 48' 40.770" उ
167	82° 21' 27.205" पू	24° 49' 38.515" उ
168	82° 21' 9.422" पू	24° 50' 20.283" उ
169	82° 20' 17.198" पू	24° 51' 22.333" उ
170	82° 20' 15.589" पू	24° 51' 42.319" उ
171	82° 21' 21.974" पू	24° 51' 24.245" उ
172	82° 21' 43.104" पू	24° 51' 38.199" उ
173	82° 21' 57.058" पू	24° 52' 3.036" उ

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपाबंध III

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सोनभद्र/मिर्जापुर के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने-वाले ग्रामों की सूची और इसके साथ भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	दिशा	निर्देशांक	
			उत्तरी	पूर्वी
1.	ससनाई	पूर्व	24°28'27.52"	83°8'40.92"
2.	माकरबारी	पूर्व	24°34'47.5"	83°6'25.6"
3.	लौवा	पूर्व	24°35'20.18"	83°7'25.97"
4.	विरानछुवा	पूर्व	24°35'52.33"	83°7'39.9"
5.	भाटावारी	पश्चिम	24°48'47.52"	82°21'22.86"
6.	हलिया	पश्चिम	24°49'1.34"	82°20'36.17"
7.	दिघीया	पश्चिम	24°48'7.63"	82°21'32.72"
8.	बरवोही	पश्चिम	24°46'34.39"	82°21'29.52"
9.	बरहुला	पश्चिम	24°46'1.31"	82°20'57.01"
10.	बरुवा	पश्चिम	24°43'28.16"	82°21'46.58"
11.	औरा	पश्चिम	24°43'43.07"	82°21'29.41"
12.	धमोली	पश्चिम	24°42'30.89"	82°21'50.04"
13.	गुरगी	पश्चिम	24°45'18.29"	82°20.43.62"
14.	कवलक्षकर	पश्चिम	24°41'19"	82°22'30.5"
15.	खामरहारिया कला	पश्चिम	24°44'15.36"	82°20'57.48"
16.	सिलहाता	पश्चिम	24°40'2.78"	82°22'33.1"
17.	थोथा	पश्चिम	24°42'56.92"	82°21'48.24"
18.	फुलियारी	पश्चिम	24°40'19.7"	82°21'1.3"
19.	गजरिया	पश्चिम	24°39'53.46"	82°20'17.45"
20.	केदवार	उत्तर	24°51'26.82"	82°24'28.84"
21.	खरिहात खुर्द	उत्तर	24°51'40.75"	82°32'32.03"
22.	देवघाटा पाण्डेय	उत्तर	24°52'17.87"	82°21'58.68"
23.	कनहारी	उत्तर	24°43'57.94"	82°36'20.64"
24.	सेमरा कला	उत्तर	24°43'37.99"	82°36'3.6"
25.	सेमरा खुर्द	उत्तर	24°44'28.36"	82°36'12.6"
26.	मुखा	उत्तर	24°44'4.81"	82°42'26.57"
27.	परसिया	उत्तर	24°44'4.63"	82°41'35.52"
28.	परासौना	उत्तर	24°42'20.16"	82°35'23.06"
29.	वीरखुर्द	उत्तर	24°43'54.88"	82°38'38.72"
30.	वारोधी	उत्तर	24°44'9.38"	82°42'25.06"
31.	घुवाम	उत्तर	24°42'25.7"	82°39'52.34"
32.	घोरिया	उत्तर	24°43'52.36"	82°38'57.8"

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

33.	देवगढ़	उत्तर	24°39'13.25"	82°44'15.18"
34.	माझीगावा मिश्रा	उत्तर	24°43'33.17"	82°44'11.18"
35.	वार	उत्तर	24°41'16.08"	82°43'27.08"
36.	मोहिनी	उत्तर	24°43'31.87"	82°43'44.8"
37.	वरदिया	उत्तर	24°40'16.54"	82°43'52.25"
38.	गुरूवाल	उत्तर	24°39'52.22"	82°46'57.18"
39.	सिलहात	उत्तर	24°40'25.93"	82°56'11.94
40.	मुसरधारा	उत्तर	24°40'31.15"	82°49'15.75"
41.	तेंदुई	उत्तर	24°40'38.42"	82°49'20.75"
42.	धोमखारी	उत्तर	24°40'11.21"	82°48'30.1"
43.	खिरीहाता	उत्तर	24°39'58.03"	82°48'52.27"
44.	गरमा	उत्तर	24°40'46.02"	82°49'41.09"
45.	धोमहार	उत्तर	24°40'27.59"	82°53'59.96"
46.	ओवेरदीह	उत्तर	24°40'42.24"	82°53'50.32"
47.	दुगौलिया	उत्तर	24°40.19.38"	82°56'7.3"
48.	जुधोली कालोनी	उत्तर	24°40'25.72"	82°57'13.18"
49.	रघुनाथपुर	उत्तर	24°40'25.5"	82°57'45.76"
50.	बहुहार	उत्तर	24°39'51.34"	82°57'27.32"
51.	वसौली	उत्तर	24°39'54.76"	83°1'7.43"
52.	अमौली	उत्तर	24°39'28.91"	82°59'21.55"
53.	वघौरी	उत्तर	24°39'51.91"	82°58'59.16"
54.	तिताली	उत्तर	24°39'47.27"	82°59'19.21"
55.	छापक्का	उत्तर	24°39'7.99"	83°3'21.85"
56.	लोधी	उत्तर	24°38'57.55"	83°3'14.62"
57.	चोपान	दक्षिण	24°31'5.52"	83°2'9.38"
58.	वरगावा	दक्षिण	24°36'37.04"	82°54'32.8"
59.	मैदान	दक्षिण	24°36'11.92"	82°53'8.81"
60.	छटावर	दक्षिण	24°36'14.4"	82°50'35.56"
61.	सेमिया	दक्षिण	24°36'32.47"	82°48'43.56"
62.	छिटीकपुरवा	दक्षिण	24°35'49.42"	82°49'32.41"
63.	कुदारी	दक्षिण	24°35'55.1"	82°47'1.79"
64.	तीता	दक्षिण	24°38'45.46"	82°21'35.58"
65.	पेदारिया	दक्षिण	24°38'29.76"	82°22'37.38"
66.	पौधी रामपुर	दक्षिण	24°37'50.02"	82°22'2.75"
67.	माटवार	दक्षिण	24°44'25.84"	82°28'53.98"
68.	वेलाही	दक्षिण	24°43'31.73"	82°30'1.62"
69.	कुमीयारा	दक्षिण	24°43'20.96"	82°30'36.83"
70.	नदाना	दक्षिण	24°43'34.32"	82°30'48.24"

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपाबंध- IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2017

S.O. 891(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2601(E), dated 22nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS Kaimur Wild Life Sanctuary situated in the Mirzapur and Sonebhadra districts of Uttar Pradesh lying between 24°27'51''N to 24°52'0.9''N and 24°38'19.11''N to 24°39'9.05''N latitudes and 82°20'15.30''E to 83°08'23.3''E and 82°44'59.9''E to 82°45'0.07''E longitudes is spread over an area of 500.73 Sq. km.

AND WHEREAS, Kaimur Wild Life Sanctuary offers natural habitat for Black Bucks (*Antilope cervicapra*), Sloth Bears (*Melursus ursinus*), Wild Boars (*Sus scrofa*), Striped Hyena (*Hyaena hyaena*), Sambhar (*Rusa unicolor*), Pangolin (*Manis crassicaudata*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Jackals (*Canis aureus*), Apes, Spotted Deer (*Axis axis*) and Chinkara (*Gazella bennettii*). There are a number of water bodies and a number of species of land and water birds. All the major orders of Reptilia are represented in this Sanctuary. These include the Monitor Lizard (*Varanus sp.*), Cobra (*Ophiophagus Hannah*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Russell's Viper (*Daboia*), Rat Snake (*Panthrophis obsoletus*) and Pythons (*Python sp.*). Fresh water crocodiles are found in the Belan and Bakhar rivers.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Kaimur Wildlife Sanctuary

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km all around the boundary of Kaimur Wildlife Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Kaimur Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive zone shall be 1 km all around the boundary of Kaimur Wildlife Sanctuary, with an area of 475.102 Sq. Km.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and GPS coordinates is appended as Annexure I.

(3) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Kaimur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-II.

(3) The list of 70 villages falling in Eco-sensitive Zone along with GPS coordinates is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,

ii. Forest and Wildlife,

iii. Agriculture,

iv. Revenue,

v. Urban Development,

vi. Tourism,

vii. Rural Development,

viii. Irrigation and Flood Control,

ix. Municipal

x. Panchayati Raj

xi. Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 7.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment area plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within ESZ vide Central Pollution Board's categorization.

(15) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

16. The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use, production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
8	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
12.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or agricultural requirement of locals.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Uses of Plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws. Efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and Vehicular Pollution	Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.
26.	Noise pollution	Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid Waste Management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.
29.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
30.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.
37.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Uttar Pradesh, which shall comprise of the following namely:-

1.	Commissioner, Mirzapur	Chairman
2.	A representative of District Magistrate, Sonbhadra	Member
3.	A representative of District Magistrate, Mirzapur	Member
4.	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra or Mirzapur	Member
5.	Senior Town Planner of the area	Member
6.	One representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment and heritage) to be nominated by the State Government for a period of three years.	Member
7.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period of one year	Member
8.	Member of State Biodiversity Board	Member
9.	Deputy Conservator of Forests, Kaimur Wildlife Division	Member Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of monitoring committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro-forma appended at **Annexure-IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal

[F. No. 25/112/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

Map of Eco-Sensitive Zone of Kaimur Wildlife Sanctuary with GPS coordinates

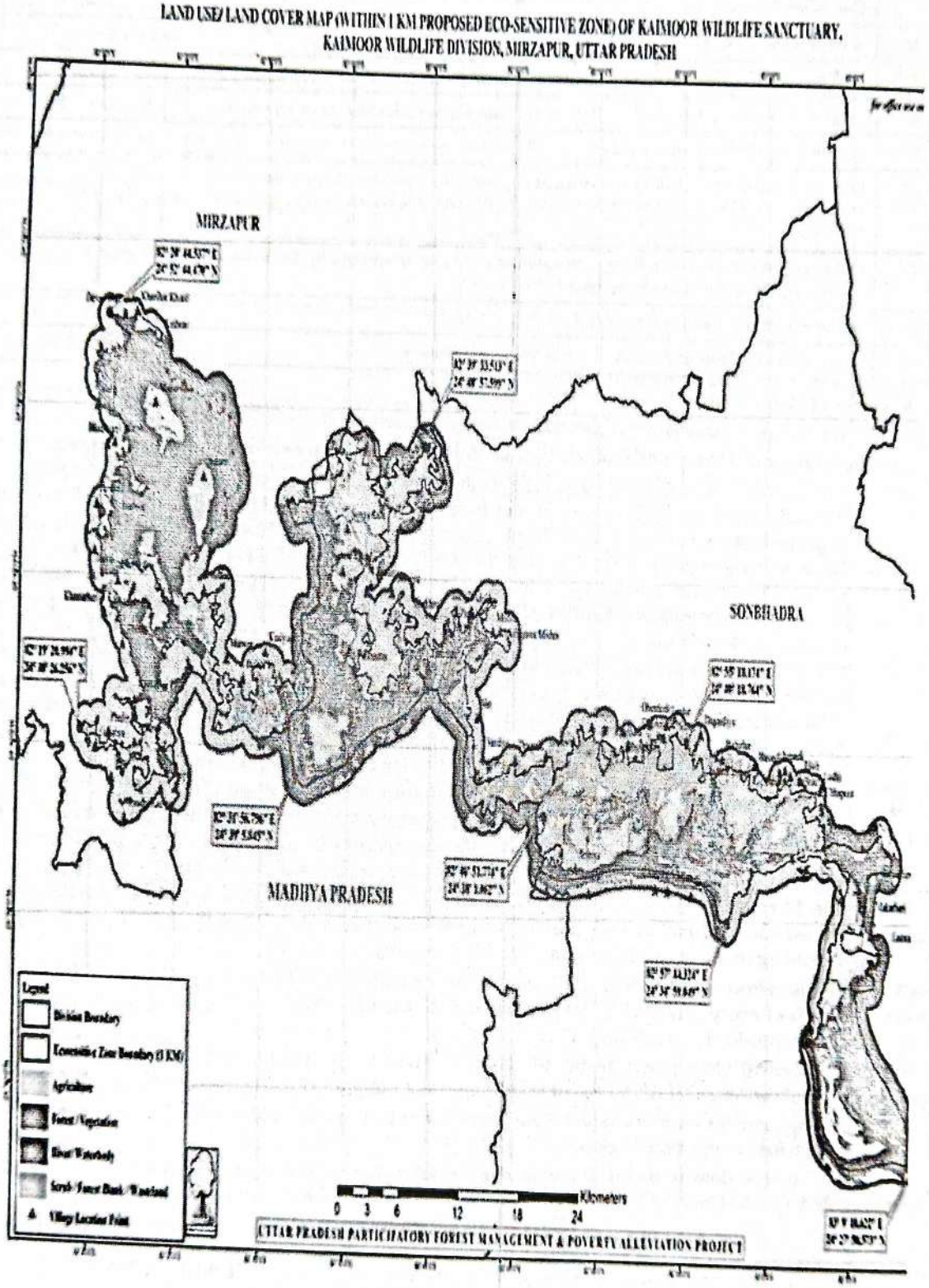

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure-II

GPS Coordinates of Kaimur Wild Life Sanctuary, Sonbhadra/ Mirzapur, Uttar Pradesh

BOUNDARY COORDINATE LIST OF KAIMUR WILDLIFE DIVISION
DISTRICT -MIRZAPUR / SONBHADRA

ID	Longitude	Latitude
1	82° 20' 44.537" E	24° 52' 44.470" N
2	82° 22' 16.560" E	24° 52' 34.479" N
3	82° 23' 28.326" E	24° 52' 8.018" N
4	82° 24' 13.157" E	24° 50' 59.364" N
5	82° 25' 13.151" E	24° 50' 42.154" N
6	82° 26' 45.656" E	24° 49' 57.996" N
7	82° 27' 33.291" E	24° 50' 16.672" N
8	82° 27' 54.772" E	24° 49' 42.345" N
9	82° 28' 6.780" E	24° 48' 38.153" N
10	82° 28' 28.870" E	24° 47' 38.855" N
11	82° 27' 40.427" E	24° 47' 27.681" N
12	82° 27' 45.437" E	24° 46' 48.522" N
13	82° 26' 55.905" E	24° 46' 21.543" N
14	82° 26' 16.316" E	24° 45' 46.975" N
15	82° 25' 24.233" E	24° 45' 34.990" N
16	82° 25' 26.066" E	24° 44' 15.919" N
17	82° 27' 36.667" E	24° 44' 42.123" N
18	82° 27' 2.338" E	24° 43' 49.200" N
19	82° 26' 57.923" E	24° 42' 42.671" N
20	82° 27' 25.559" E	24° 41' 50.811" N
21	82° 27' 53.122" E	24° 40' 53.125" N
22	82° 28' 40.231" E	24° 41' 49.249" N
23	82° 29' 41.111" E	24° 41' 36.996" N
24	82° 30' 24.495" E	24° 42' 24.825" N
25	82° 30' 56.730" E	24° 41' 38.734" N
26	82° 31' 49.683" E	24° 41' 49.014" N
27	82° 33' 0.430" E	24° 41' 24.989" N
28	82° 32' 42.148" E	24° 42' 33.411" N
29	82° 32' 20.913" E	24° 43' 24.388" N
30	82° 33' 2.388" E	24° 44' 3.070" N
31	82° 33' 14.676" E	24° 44' 38.724" N
32	82° 33' 17.264" E	24° 45' 40.273" N
33	82° 32' 47.958" E	24° 46' 42.152" N
34	82° 31' 52.286" E	24° 46' 36.068" N
35	82° 31' 22.660" E	24° 47' 12.983" N
36	82° 32' 55.661" E	24° 47' 15.357" N
37	82° 33' 59.666" E	24° 47' 31.333" N
38	82° 34' 31.105" E	24° 48' 6.783" N
39	82° 34' 16.124" E	24° 48' 47.714" N
40	82° 36' 0.136" E	24° 48' 54.100" N

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

41	82° 36' 7.688" E	24° 48' 3.261" N
42	82° 36' 41.357" E	24° 47' 58.739" N
43	82° 37' 12.443" E	24° 48' 5.892" N
44	82° 37' 52.841" E	24° 48' 27.919" N
45	82° 38' 49.286" E	24° 48' 22.308" N
46	82° 39' 33.513" E	24° 48' 57.599" N
47	82° 40' 6.250" E	24° 48' 51.410" N
48	82° 40' 19.531" E	24° 48' 22.139" N
49	82° 40' 37.447" E	24° 47' 58.641" N
50	82° 39' 50.677" E	24° 47' 37.529" N
51	82° 39' 6.909" E	24° 47' 36.350" N
52	82° 38' 47.364" E	24° 47' 5.778" N
53	82° 37' 29.880" E	24° 47' 4.961" N
54	82° 37' 19.891" E	24° 45' 57.670" N
55	82° 36' 22.884" E	24° 45' 18.344" N
56	82° 35' 27.963" E	24° 44' 58.960" N
57	82° 35' 21.777" E	24° 44' 2.442" N
58	82° 36' 17.004" E	24° 43' 35.227" N
59	82° 35' 31.258" E	24° 42' 8.344" N
60	82° 37' 1.012" E	24° 41' 35.764" N
61	82° 38' 19.353" E	24° 42' 46.474" N
62	82° 37' 19.042" E	24° 43' 42.048" N
63	82° 38' 18.059" E	24° 44' 36.324" N
64	82° 39' 7.483" E	24° 43' 44.192" N
65	82° 38' 32.421" E	24° 43' 10.462" N
66	82° 40' 40.824" E	24° 43' 7.376" N
67	82° 41' 16.582" E	24° 43' 24.448" N
68	82° 41' 29.064" E	24° 44' 11.736" N
69	82° 42' 18.027" E	24° 43' 54.540" N
70	82° 43' 33.202" E	24° 44' 28.626" N
71	82° 43' 3.537" E	24° 43' 51.524" N
72	82° 43' 53.256" E	24° 43' 23.494" N
73	82° 44' 44.110" E	24° 43' 12.088" N
74	82° 43' 19.132" E	24° 42' 53.101" N
75	82° 42' 26.787" E	24° 42' 22.080" N
76	82° 42' 7.243" E	24° 41' 51.516" N
77	82° 42' 13.793" E	24° 40' 57.356" N
78	82° 42' 37.685" E	24° 40' 6.328" N
79	82° 42' 42.342" E	24° 39' 7.198" N
80	82° 43' 33.330" E	24° 39' 7.446" N
81	82° 44' 39.057" E	24° 39' 20.000" N
82	82° 45' 39.173" E	24° 39' 21.795" N
83	82° 47' 24.566" E	24° 39' 6.405" N
84	82° 48' 15.098" E	24° 39' 38.251" N
85	82° 49' 3.387" E	24° 40' 43.400" N
86	82° 50' 23.281" E	24° 39' 25.047" N

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

87	82° 52' 16.527" E	24° 39' 48.609" N
88	82° 54' 3.742" E	24° 39' 33.951" N
89	82° 55' 18.174" E	24° 40' 18.764" N
90	82° 57' 45.010" E	24° 39' 36.097" N
91	83° 0' 8.900" E	24° 38' 41.783" N
92	83° 2' 20.305" E	24° 39' 1.647" N
93	83° 3' 27.460" E	24° 37' 53.342" N
94	83° 3' 26.833" E	24° 37' 15.080" N
95	83° 5' 50.582" E	24° 37' 12.262" N
96	83° 7' 21.512" E	24° 37' 7.659" N
97	83° 6' 7.959" E	24° 36' 22.934" N
98	83° 5' 44.489" E	24° 34' 45.090" N
99	83° 4' 33.404" E	24° 34' 37.755" N
100	83° 6' 48.259" E	24° 33' 55.945" N
101	83° 6' 30.339" E	24° 33' 17.926" N
102	83° 5' 21.830" E	24° 33' 0.577" N
103	83° 6' 6.490" E	24° 31' 16.793" N
104	83° 8' 33.276" E	24° 28' 58.287" N
105	83° 9' 18.622" E	24° 27' 58.573" N
106	83° 7' 5.022" E	24° 27' 59.631" N
107	83° 4' 35.861" E	24° 27' 54.214" N
108	83° 3' 25.626" E	24° 28' 35.110" N
109	83° 3' 9.735" E	24° 30' 0.189" N
110	83° 2' 36.645" E	24° 31' 30.492" N
111	83° 3' 17.598" E	24° 32' 28.174" N
112	83° 3' 46.634" E	24° 34' 15.103" N
113	83° 4' 12.634" E	24° 34' 47.193" N
114	83° 4' 55.976" E	24° 36' 17.279" N
115	83° 3' 31.884" E	24° 36' 50.052" N
116	83° 1' 35.435" E	24° 36' 52.465" N
117	82° 59' 9.511" E	24° 36' 32.780" N
118	82° 57' 44.324" E	24° 34' 59.049" N
119	82° 47' 54.579" E	24° 36' 57.078" N
120	82° 46' 51.774" E	24° 38' 1.062" N
121	82° 42' 13.386" E	24° 40' 27.406" N
122	82° 39' 49.624" E	24° 41' 44.738" N
123	82° 38' 30.686" E	24° 40' 58.178" N
124	82° 35' 47.004" E	24° 40' 5.857" N
125	82° 33' 8.706" E	24° 39' 4.275" N
126	82° 31' 56.796" E	24° 39' 5.845" N
127	82° 31' 31.437" E	24° 40' 31.812" N
128	82° 30' 44.037" E	24° 40' 28.131" N
129	82° 29' 40.099" E	24° 40' 12.128" N
130	82° 28' 18.365" E	24° 40' 31.243" N
131	82° 27' 9.131" E	24° 40' 29.420" N
132	82° 26' 30.962" E	24° 41' 55.499" N

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

133	82° 25' 22.462" E	24° 42' 59.396" N
134	82° 24' 14.784" E	24° 42' 35.902" N
135	82° 24' 19.624" E	24° 41' 40.102" N
136	82° 25' 50.196" E	24° 42' 15.029" N
137	82° 24' 59.461" E	24° 41' 18.924" N
138	82° 23' 56.957" E	24° 40' 27.916" N
139	82° 25' 1.722" E	24° 39' 16.576" N
140	82° 24' 26.130" E	24° 39' 9.421" N
141	82° 22' 57.459" E	24° 38' 37.790" N
142	82° 22' 35.100" E	24° 39' 14.610" N
143	82° 23' 19.014" E	24° 39' 33.346" N
144	82° 21' 52.217" E	24° 39' 6.680" N
145	82° 21' 23.569" E	24° 39' 51.876" N
146	82° 19' 20.994" E	24° 40' 26.256" N
147	82° 20' 22.175" E	24° 40' 41.525" N
148	82° 21' 50.029" E	24° 39' 56.630" N
149	82° 22' 52.912" E	24° 40' 1.048" N
150	82° 21' 25.461" E	24° 41' 22.565" N
151	82° 23' 18.730" E	24° 40' 29.936" N
152	82° 23' 21.988" E	24° 41' 17.338" N
153	82° 22' 38.804" E	24° 42' 6.002" N
154	82° 21' 53.989" E	24° 43' 12.984" N
155	82° 21' 8.079" E	24° 44' 4.162" N
156	82° 22' 24.090" E	24° 44' 39.253" N
157	82° 23' 19.308" E	24° 44' 6.291" N
158	82° 24' 11.756" E	24° 43' 30.852" N
159	82° 24' 5.065" E	24° 44' 24.172" N
160	82° 23' 26.416" E	24° 45' 11.964" N
161	82° 21' 40.745" E	24° 45' 15.431" N
162	82° 20' 32.235" E	24° 45' 0.239" N
163	82° 20' 11.114" E	24° 46' 10.329" N
164	82° 21' 0.722" E	24° 46' 46.499" N
165	82° 22' 48.661" E	24° 47' 21.297" N
166	82° 22' 3.044" E	24° 48' 40.770" N
167	82° 21' 27.205" E	24° 49' 38.515" N
168	82° 21' 9.422" E	24° 50' 20.283" N
169	82° 20' 17.198" E	24° 51' 22.333" N
170	82° 20' 15.589" E	24° 51' 42.319" N
171	82° 21' 21.974" E	24° 51' 24.245" N
172	82° 21' 43.104" E	24° 51' 38.199" N
173	82° 21' 57.058" E	24° 52' 3.036" N

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure-III

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive zone of Kaimur Wild Life Sanctuary, Sonbhadra/ Mirzapur along with GPS Coordinates

S.No.	Name of the Village	Direction	Co-ordinates	
			Northing	Easting
1.	Sasnai	East	24°28'27.52''	83°8'40.92''
2.	Makarbari	East	24°34'47.5''	83°6'25.6''
3.	Lauwa	East	24°35'20.18''	83°7'25.97''
4.	Biranchuwa	East	24°35'52.33''	83°7'39.9''
5.	Bhatawari	West	24°48'47.52''	82°21'22.86''
6.	Halia	West	24°49'1.34''	82°20'36.17''
7.	Dighiya	West	24°48'7.63''	82°21'32.72''
8.	Barbohi	West	24°46'34.39''	82°21'29.52''
9.	Barhula	West	24°46'1.31''	82°20'57.01''
10.	Barua	West	24°43'28.16''	82°21'46.58''
11.	Aura	West	24°43'43.07''	82°21'29.41''
12.	Dhamoli	West	24°42'30.89''	82°21'50.04''
13.	Gurgi	West	24°45'18.29''	82°20.43.62''
14.	Kawaljhar	West	24°41'19''	82°22'30.5''
15.	Khamarhariya Kala	West	24°44'15.36''	82°20'57.48''
16.	Silhata	West	24°40'2.78''	82°22'33.1''
17.	Thotha	West	24°42'56.92''	82°21'48.24''
18.	Phuliyari	West	24°40'19.7''	82°21'1.3''
19.	Gajariya	West	24°39'53.46''	82°20'17.45''
20.	Kedwar	North	24°51'26.82''	82°24'28.84''
21.	Kharihat Khurd	North	24°51'40.75''	82°32'32.03''
22.	Devaghata Pandey	North	24°52'17.87''	82°21'58.68''
23.	Kanhari	North	24°43'57.94''	82°36'20.64''
24.	Semra Kala	North	24°43'37.99''	82°36'3.6''
25.	Semra Khurd	North	24°44'28.36''	82°36'12.6''
26.	Mukha	North	24°44'4.81''	82°42'26.57''
27.	Parsiya	North	24°44'4.63''	82°41'35.52''
28.	Parasauna	North	24°42'20.16''	82°35'23.06''
29.	Veerkhrud	North	24°43'54.88''	82°38'38.72''
30.	Barodhi	North	24°44'9.38''	82°42'25.06''
31.	Ghuwas	North	24°42'25.7''	82°39'52.34''
32.	Ghoriya	North	24°43'52.36''	82°38'57.8''
33.	Devgarh	North	24°39'13.25''	82°44'15.18''

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

34.	Majhigawa Mishra	North	24°43'33.17''	82°44'11.18''
35.	Var	North	24°41'16.08''	82°43'27.08''
36.	Mohini	North	24°43'31.87''	82°43'44.8''
37.	Vardiya	North	24°40'16.54''	82°43'52.25''
38.	Guruwal	North	24°39'52.22''	82°46'57.18''
39.	Silhat	North	24°40'25.93''	82°56'11.94
40.	Musardhara	North	24°40'31.15''	82°49'15.75''
41.	Tendui	North	24°40'38.42''	82°49'20.75''
42.	Dhomkhari	North	24°40'11.21''	82°48'30.1''
43.	Khirihata	North	24°39'58.03''	82°48'52.27''
44.	Garma	North	24°40'46.02''	82°49'41.09''
45.	Dhomhar	North	24°40'27.59''	82°53'59.96''
46.	Oberdeeh	North	24°40'42.24''	82°53'50.32''
47.	Dugauliya	North	24°40.19.38''	82°56'7.3''
48.	Judholi colony	North	24°40'25.72''	82°57'13.18''
49.	Raghunathpur	North	24°40'25.5''	82°57'45.76''
50.	Bahuhar	North	24°39'51.34''	82°57'27.32''
51.	Basauli	North	24°39'54.76''	83°1'7.43''
52.	Amauli	North	24°39'28.91''	82°59'21.55''
53.	Baghuari	North	24°39'51.91''	82°58'59.16''
54.	Tiloli	North	24°39'47.27''	82°59'19.21''
55.	Chhapcea	North	24°39'7.99''	83°3'21.85''
56.	Lodhi	North	24°38'57.55''	83°3'14.62''
57.	Chopan	South	24°31'5.52''	83°2'9.38''
58.	Bargawa	South	24°36'37.04''	82°54'32.8''
59.	Madain	South	24°36'11.92''	82°53'8.81''
60.	Chatawar	South	24°36'14.4''	82°50'35.56''
61.	Semiya	South	24°36'32.47''	82°48'43.56''
62.	Chhitikpurwa	South	24°35'49.42''	82°49'32.41''
63.	Kudari	South	24°35'55.1''	82°47'1.79''
64.	Tita	South	24°38'45.46''	82°21'35.58''
65.	Pedariya	South	24°38'29.76''	82°22'37.38''
66.	Paudhi Rampur	South	24°37'50.02''	82°22'2.75''
67.	Matwar	South	24°44'25.84''	82°28'53.98''
68.	Belahi	South	24°43'31.73''	82°30'1.62''
69.	Kusiyara	South	24°43'20.96''	82°30'36.83''
70.	Nadana	South	24°43'34.32''	82°30'48.24''

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   (Details may be attached as Annexure)
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.21 12:06:51 +05'30'

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–10

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या– / 26-11 वार्ता लखनऊः दिनांकः जुलाई 07 2011

सेवा में,

1. समस्त जोनल मुख्य वन संरक्षक,
क्षेत्रीय एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त वन संरक्षक,
क्षेत्रीय एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश।

विषयः– खनन हेतु वन विभाग की अनापत्ति जारी किये जाने के सन्दर्भ में संरक्षित क्षेत्रों/हाथी रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विधि संगत/सुसंगत नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों के सन्दर्भ में वन विभाग की अनापत्ति जारी करने के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा दिशा–निर्देश जारी हुए है। जिनमें शासनादेश संख्या 2860/14–2–04–65/2004 दिनांक 09.12.2004; शासनादेश संख्या 2791/14–2–2005–500/(21)2005 दिनांक 10.10.2005, शासनादेश संख्या 2388/14–2–2007–65/204 टी0सी0–111 दिनांक 11.12.2007 एवं शासनादेश संख्या 728/14–2–2008 दिनांक 20.02.2008 मुख्य रूप से उल्लिखित है, जिनकी प्रति आपको प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 के कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है।

2– आप विदित है कि वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र (अभ्यारण एवं राष्ट्रीय उद्यान) के अन्दर एवं इससे 1 कि0मी परिधि के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन निषेध किया गया है। अतः प्रत्येक दशा में इसे कड़ाई से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, हाथी रिजर्व के अन्दर तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण से 10 कि0मी0 की परिधि में समस्त खनन कार्य तथा ऐसी अन्य परियोजनायें जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना आवश्यक है, के प्रकरणों में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की संस्तुति भी आवश्यक है। इस क्रम में भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) के पत्रांक एफ–6–10/2011–WL दिनांक 15.03.2011 द्वारा निर्गत किये गये दिशा निर्देश/मार्गदर्शी की प्रति इस आशय संलग्न किया जा रहा है कि उल्लिखित क्षेत्र में उक्त तथा उपरोक्त में उल्लिखित किसी परियोजना के सम्बन्ध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में मार्गदर्शी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक क्लीयरेन्स प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ सभी प्रभागीय वनाधिकारी को निदेशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रसंख्या 70 /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0के0 पटनायक)
प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

D:\July-2011.doc

Government of India
Ministry of Environment and Forests
(Wildlife Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110003

F. No. 6-10/2011 WL

Dated: 15th March 2011

Sub: **Guidance document for taking up non-forestry activities in wildlife habitats**

The Wildlife (Protection) Act, 1972 and orders of Hon'ble Supreme Court makes it mandatory for following certain procedures for taking up any non-forestry activity in wildlife habitats. However, many firms/individuals approach the Ministry seeking the details of procedures to be adopted. In order to facilitate and guide the people on the various steps that need to be followed for taking up non forestry activities in wildlife habitats, a guidance document has been prepared which is enclosed for ready reference and necessary action.

(Prakriti Srivastava)
Deputy Inspector General (WL)
Telefax: 011-24360704
E.mail: digwl-mef@nic.in

पत्र संख्या 4263
31-3-2011

Encl: As above

Distribution:

1. The Secretary, all Ministries/Departments of Government of India, New Delhi
2. The Chief Secretary, all States/Union Territories
3. The Pr. Chief Conservator of Forests, all States/Union Territories
4. The Chief Wildlife Warden, all States/Union Territories.

Copy to:

1. PS to Hon'ble MEF
2. PPS to Secretary (E&F), MoEF
3. PPS to DGF & SS, MoEF
4. PPS to Addl. DGF(WL)
5. PPS to Addl. DGF(FC)
6. PS to Advisor, I.A Division, MoEF
7. The NIC Cell- with a request to kindly upload the same on the official website of the Ministry.

1/2

GUIDELINES FOR TAKING NON-FORESTRY ACTIVITIES IN WILDLIFE HABITATS

****

1. POLICY AND APPROACH:

1.1 General Policy

National Parks, Sanctuaries and Conservation Reserves are extremely important for conservation of biodiversity, and for ensuring the survival of floral and faunal components of biodiversity, not only for the present but also for future. However, the rising human population and their growing demands for socio economic development have placed tremendous stress on such areas both directly and indirectly. Keeping in view the fact that a balance has to be struck between development and conservation, any activity involving use or diversion of protected areas may be considered only under most exceptional circumstances. Additionally, such activities to be taken up in the wildlife habitats need to be governed by the orders of Hon'ble Supreme Court as well as the statutory requirements as provided in the Wild Life (Protection) Act, 1972.

1.2 Activities inside Wildlife Sanctuaries:

The Wild Life (Protection) Act, 1972 provides that the recommendation of the State Board for Wildlife (*a Board chaired by the State Chief Minister*) is essential for any kind of destruction/damage/removal of any wildlife or for diverting the habitat of any wild animal, including removal of forest produce or diverting / stopping / enhancing the flow of water into or outside the Sanctuary.

Further, in view of the directions of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 337/1995, all such proposals also require the recommendation of the Standing Committee of National Board for Wildlife (*a Committee chaired by the Minister in charge of the Ministry of Environment and Forests*).

1.3 Activities inside National Parks:

The Wild Life (Protection) Act, 1972 provides that the recommendation of the National Board for Wildlife (*a Board chaired by the Prime Minister*) is essential for any kind of destruction/damage/removal of any wildlife or for diverting the habitat of any wild animal, including removal of forest produce or diverting / stopping / enhancing the flow of water into or outside the National Park.

However, as the Standing Committee of National Board for Wildlife has been delegated the powers of the National Board for Wildlife, such cases are to be referred to the Standing Committee of National Board for Wildlife for consideration and recommendation.

1.4 Activities inside Conservation Reserves:

The Ministry of Law and Justice has opined [redacted]

1.4 Activities within 10 Kms from boundaries of National Parks and Wildlife Sanctuaries:

In pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 460/2004, the Ministry of Environment and Forests has issued an Office Memorandum on 2nd December 2009 **(Annexure-1)**, indicating that [redacted]

2. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR ACTIVITIES INSIDE NATIONAL PARKS, WILDLIFE SANCTUARIES AND CONSERVATION RESERVES:

2.1 The User Agency/Project Proponent is required to submit the [redacted] that has been prescribed by the Ministry of Environment and Forests, and is available on the website of the Ministry (http://envfor.nic.in) (Annexure-2).

2.2 The [redacted] each part is required to be filled in by the User Agency; concerned Divisional Forest Officer/Park Manager; Concerned Chief Conservator of Forests; Concerned Chief Wildlife Warden and the Forest Secretary.

2.3 The proforma also seeks information in detail on the biodiversity of the area in question; maps of the area, other activities already in place; possible impacts of the proposal, etc.

2.4 The User agency is required to submit Part-I and Part-II of the proforma duly filled in to the concerned Forest Officer, who in turn, forwards the same to the Chief Wildlife Warden through the Chief Conservator of Forest.

2.5 The [redacted] after giving his specific comments on the proposal, [redacted] the same to the Government of India, [redacted] recommendation of the State Board for Wildlife on the proposal.

2.6 The proposal so received from the State Government is placed before the Standing Committee of NBWL, chaired by Minister of State (I/C) Environment and Forests. The meeting of the Standing Committee is convened once in 2-3 months.

2.7 In cases where the area proposed for diversion is large and/or the impact of the project on wildlife is considered to be serious, [redacted] are conducted by the members of the Committee on the instructions of the Standing Committee of NBWL.

2.8 The site inspection reports are generally considered in the next meeting of the Standing Committee to enable the Committee to make its recommendation.

2.9 After the Standing Committee of NBWL recommends the proposal, the User Agency/State Government is required to approach [redacted] e in view of the Court orders dated 13.11.2000.

[Note: *Hon'ble Supreme Court vide their order dated 13.11.2000 had directed that there shall be no dereservation/denotification of National Parks and Sanctuaries without approval of the Supreme Court. Therefore, to take up any such activity, a clearance from Hon'ble Court is mandatory.*]

2.10 In case of Border Roads, proposals of the Ministry of Defence, [redacted] proforma for simultaneous clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980 and wildlife clearance is being adopted under 'A Single Window System'.

3. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR ACTIVITIES WITHIN 10 KMS FROM BOUNDARIES OF NATIONAL PARKS AND WILDLIFE SANCTUARIES:

3.1 In case the project site is located within the eco-sensitive zone or 10 Kms in absence of delineation of such a zone from the boundaries of National Parks, Wildlife Sanctuaries or is an Elephant Reserve/Tiger Reserve and/or important corridors of wildlife movement, the User agency/Project Proponent should seek prior clearance from the Standing Committee of NBWL before seeking Environmental Clearance and the procedure as mentioned under paragraphs 2.1 to 2.8 above are required to be followed in such cases also.

[Note: *The Standing Committee of NBWL has been insisting on the recommendation of the State Board for Wildlife for all proposals, including those falling within 10 Kms from the boundary of National Parks and Sanctuary*].

4. PROPOSALS FOR SURVEY WORK TO BE CARRIED OUT INSIDE NATIONAL PARKS AND WILDLIFE SANCTUARIES:

In case any kind of survey work and/or Environment Impact Assessment (EIA) studies, that is a prelude to future diversion of land, are to be taken up in areas involving a wildlife habitat, then also the entire procedure, as prescribed in paragraph 2 above would need to be followed.

****

Annexure -A2
संलग्नक -II

State level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Dr. Bim Rao Ambedkar....
Vinet Khand-I, Gomtinagar,
Lucknow-226010
Phone: 91-522-2305541.

Ref: 1641/.../SEAC/784/2011/JDCA. Date: 05/07 June, 2011

To

Mr. Isht Dev Prasad Rai,
Chief Executive Officer,
UP State Highways Authority,
4th Floor, Kisan Mandi Bhavan,,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010.

Subject: Regarding the Environmental Clearance for the Upgradation, Rehabilitation and widening of the existing Varanasi-Shaktinagar section of SH-SA (km 0.00 to km 115.00) to four-line with paved shoulders of the project state Highway in the state of U.P.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 13-04-2011 addressed to the Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, UP on the subject as above. This is to inform you that the above said project had been taken up in the SEA meeting held on29.04.2011. The SEAC observed that the project did not come under the purview of EIA Notification 2006 as amended on April, 2011. Hence the project need not be considered by the SEAC and the project proponent may be informed accordingly.

The State Level environment Impact Assessment Authority (SEAC) conducted the case and to held on19.5.11 and agreed with the above recommendations of SEAC.

In the light of decision taken by SEIAA, it is being informed that your project does not come under purview of EIA notification, 2006 as amended on April, 2011.

Yours Sincerely,

Sd/-
Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary
SEIAA, U.P.

Copy for necessary....
1.the Secretary, Environment, U.P. Govt. Lucknow,.
2. Dr. Nalini Bhatt, Advisor, Ministry of Environment & Forests,Govt. of India,Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Ministry of Environment & Forest, Regional Office (Central Region), Kendriya Bhavan, 5th Floor, Sector-8, Aligarh, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Ngar, Lucknow.

Yours Sincerely,

(Dr. Yashpal Singh)
Secretary SEAC and
Director, Envirnment Directorate
Govt. of U.P.)

संलग्नक - 12

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

File No. L-1308/U.P./2022/41 Dated: 22.04.2024

By-Email COURT MATTER
URGENT

To,

The Chairman Monitoring Committee/ Commissioner
Mirzapur
Email:commmir@nic.in

Subject: In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollyways Pvt. Ltd. & Ors - reg:

Sir,

Kindly refer to the above cited subject matter and referred letter. The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated 22.08.2023, relevant para reads as:

".....4. The report submitted by the joint Committee and the DFO reveals the serious violations of Environment Protection Rules by contractor.

5. Learned Counsel appearing for the State had submitted that actions are being taken by the persons who have violated the conditions. We direct the MoEF&CC to examine the matter and take action according to law, in addition to calculation and realization of environmental compensation. Further, in case of violation and constructions against the conditions in violation Eco Sensitive Zone, structure, if requires to be demolished, must be demolished and remedial measures be taken according to the rules. Further action taken report be filed by the MoEF&CC and NHAI within two months by e mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

In compliance of above order, meetings were convened under the Chairmanship of Deputy Director General, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Regional Office, Lucknow along with Dr. Prachi Gangwar, Deputy Inspector General of Forest, Dr. Pranay Misra, Assistant Inspector General of Forest with Shri Arvind Yadav, DFO Kaimur, Shri Kunj Mohan Verma, DFO, Sonbhadra, Shri Umesh Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.

Subsequently drawing inferences from the meeting proceedings, MoEF&CC has filed the report before the Hon'ble Tribunal (copy enclosed) with certain recommendation which is as follows:

*"**b)** As per the gazette notification regarding Eco-Sensitive Zone of Kaimur Wild Life Sanctuary no. S.O.891 (E) dated 20.03.2017 of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi para 3 (1) (b) which read as:*

"Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. ***Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;***
ii. ***Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;***
iii. ***Small scale industries not causing pollution;***
iv. ***Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and***
v. ***Promoted activities and given under para 7."***

Since, the project comes under the Eco-sensitive Zone, thus it recommended that Monitoring Committee as per para 5 of gazette notification no. S.O.891 (E) dated 20.03.2017 of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi may be directed to assess the extent & amount of the violation of Eco-sensitive Zone & evaluate the compensation which will be levied on the User agency. The committee may take into consideration the clause 1.22 of FC guidelines while deciding the amount of compensation."

You are requested to access the amount of violation for calculation and realization of environmental compensation and same should be recovered from user agency within 7 days so as to comply with Hon'ble Tribunal order(s)

Encl: As above

Yours Sincerely

22/04/24

(Dr. Prachi Gangwar)
Deputy Inspector General of Forest

Copy to for similar action:

1. **District Magistrate, Sonbhadra.Email:dmson@nic.in**
2. **District Magistrate, Mirzapur. Email:dmmir@nic.in**
3. **Member Secretary Monitoring Committee/Divisional Forest Officer, Sonbhadra. Email: dfokaimoor@yahoo.co.in**
4. **Dr. Veenu Joon, Sci 'D', ESZ Division, MoEF&CC, New Delhi. Email: joon.veenu@gov.in**

22/04/24

(Dr. Prachi Gangwar)
Deputy Inspector General of Forest

संलग्नक - 13

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– 3477 / 33-1 दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल 25, 2024।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।

विषय: In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 636 of 2022, Ashish Chaubey vs ACP Tollyways Pvt. Ltd. & Ors - reg:

संदर्भ: आपका पत्र सं0– File No. L-1308/U.P./2022/41 दिनांक 22.04.2024।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.08.2023 के अनुपालन के सन्दर्भ में निम्न प्रकार निर्देशित किया गया हैं :–

"Since, the project comes under the Eco-sensitive Zone, thus it recommended that Monitoring Committee as per para 5 of gazette notification no. S.O.891 (E) dated 20.03.2017 of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi may be directed to assess the extent & amount of the violation of Eco-sensitive Zone & evaluate the compensation which will be levied on the User agency. The committee may take into consideration the clause 1.22 of FC guidelines while deciding the amount of compensation."

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं :–

1– भारत सरकार के पत्र संख्या–891 दिनांक–20.03.2017 के पैरा–5 मे निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निगरानी समिति प्रचलन में है अथवा नही, जबकि भारत सरकार के उक्त गजट नोटिफिकेशन के बिन्दु सं0–6 नियंधन और संदर्भ के क्रमांक (1) में यह उल्लेख किया गया है कि निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

2– भारत सरकार के पत्र संख्या–891 दिनांक–20.03.2017 के पैरा–5 मे निगरानी समिति के क्रमांक 6 (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि–सदस्य) व क्रमांक–7 (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ–सदस्य) का मनोनयन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। निगरानी समिति का कार्य तकनीकी प्रकृति का हैं, जिसमें उक्त विशेषज्ञों के अभाव में निगरानी समिति का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से सम्भव नहीं होगा।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन देने की कृपा करें।

भवदीय,
25/04/2024
(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–आयुक्त महोदय, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर को उनरो दिनांक–23.04.2024 को वीडियों कान्फेरिंग में हुई वार्ता के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4–जिलाधिकारी महोदया, मिर्जापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5–जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को उनरो दिनांक–24.04.2024 को हुई वार्ता के क्रम मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र/मिर्जापुर।

25/04/2024
(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052024-254434
CG-DL-E-30052024-254434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946
No. 2044] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

का.आ. 2143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 891 (अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 891(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 891 (अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	आयुक्त, मिर्जापुर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिलाधिकारी, सोनभद्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र या मिर्जापुर	सदस्य, पदेन;
(v)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
(vi)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि [जो पर्यावरण और विरासत के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो]	सदस्य;
(viii)	राजकीय जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(ix)	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।"

6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1553 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना के **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/112/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

S.O. 2143(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 891 (E), dated the 20th March, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely : -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	Commissioner, Mirzapur	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of District Magistrate, Sonbhadra	Member, ex officio;
(iii)	A representative of District Magistrate, Mirzapur	Member, ex officio;
(iv)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra or Mirzapur	Member, ex officio;
(v)	Senior Town Planner of the area	Member, ex officio;
(vi)	An expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years.	Member;
(vii)	A representative of Non-Governmental Organisation [working in the field of environment and heritage] to be nominated by the Government of Uttar Pradesh from time to time every three years.	Member;
(viii)	Member of State Biodiversity Board	Member, ex officio;
(ix)	Deputy Conservator of Forests, Kaimur Wildlife Division	Member Secretary, ex officio."

6. **Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests may file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/112/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 891(E), dated the 20th March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA